भाग / PART - V

वार्षिक लेखा / ANNUAL ACCOUNTS

डॉ. ए.वी. रमणा, अध्यक्ष, एनएमपीए माननीय केन्द्रीय श्रम, रोजगार मंत्री और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को सम्मानित करते हुए।

Dr. A.V. Ramana, Chairman, NMPA felicitating Dr.Mansukh Mandaviya, Hon'ble Union Minister of Labour, Employment and Minister of Youth Affairs and Sports

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

31/03/2024 तक राशि रु.		क्र. सं	विवरण	अनुसूची		31/03/2025 तक राशि रु.
		ख	**निधियों के स्रोत**			
		1	**शेयरधारक निधि**			
			(लागू नहीं)			
		2	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	1		
	15,37,15,03,125	क	पूंजी आरक्षित निधि		15,90,34,34,134	
	14,68,16,948		सरकार आदि से सहायता अनुदान		13,83,12,691	
15,51,83,20,073			**कुल**			16,04,17,46,825
		ख	**राजस्व आरक्षित निधियाँ**			
	7,88,64,99,198	i)	सामान्य आरक्षित निधि		11,10,33,54,619	
	15,00,000	ii)	कर्मचारी कल्याण निधि		15,00,000	
	29,46,598	iii)	कर्मचारी बीमा निधि		25,11,840	
	99,45,62,079	iv)	सामान्य बीमा निधि		1,19,22,23,199	
	28,91,523	v)	कर्मचारी एचबीए विशेष हितलाभ निधि		28,27,904	
	3,80,83,414	vi)	परिवार सुरक्षा निधि		3,20,47,360	
	22,60,45,337	vii)	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि		30,77,04,034	
	21,26,83,067	viii)	छुट्टी नकदीकरण निधि		18,00,00,000	
9,36,52,11,216			**कुल**			**12,82,21,68,957**
		ग	**पूंजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षित निधि**			
	1,30,97,14,942	1	विकास हेतु आरक्षित, ऋण व आकस्मिकताओं की अदायगी		1,16,03,11,467	
	18,23,62,95,766	2	पूंजी परिसंपत्ति प्रतिस्थापना आरक्षित निधि		19,45,69,12,013	
19,54,60,10,708			**कुल**			**20,61,72,23,480**
44,42,95,41,997			**कुल आरक्षित**			**49,48,11,39,262**
1,61,15,05,257		3	आस्थगित कर देयता			1,63,89,27,457
1,35,43,10,183		4	भूमि पर अग्रिम प्रीमियम प्राप्त हुआ			1,36,42,08,706
47,39,53,57,437			**निधियों के कुल स्रोत**			**52,48,42,75,425**
		II	**निधियों का विनियोग**			
		1	**स्थिर/पूंजी परिसंपत्तियाँ**	2		
	13,31,64,04,876	क	सकल ब्लॉक		13,49,05,04,847	
	5,19,85,70,812		घटाएँ: संचित मूल्यह्रास		5,53,88,80,984	
	8,11,78,34,064		**निवल ब्लॉक**		**7,95,16,23,863**	
	15,47,82,658	ख	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		51,08,84,455	
8,27,26,16,722			**कुल अचल परिसंपत्तियाँ**			**8,46,25,08,318**
		2	**निवेश**	3		
	2,92,00,00,004		चालू निवेश		5,04,00,00,000	
	36,11,28,69,448		दीर्घकालिक निवेश		38,93,41,50,081	
39,03,28,69,452			**कुल निवेश**			**43,97,41,50,081**

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY
Balance Sheet As At 31st MARCH, 2025

As on 31-3-2024 Amount ₹		S.No	Particulars	Sche-dules		As on 31-3-2025 Amount ₹
		I	**SOURCES OF FUNDS**			
		1	**SHAREHOLDER'S FUND**			
			(Not Applicable)			
		2	**RESERVES AND SURPLUS**	1		
	15,37,15,03,125	A	**Capital Reserve**		15,90,34,34,134	
	14,68,16,948		Grant in aid from Govt.etc.,		13,83,12,691	
15,51,83,20,073			**Total**			**16,04,17,46,825**
		B	**Revenue Reserves**			
	7,88,64,99,198	i)	General Reserve		11,10,33,54,619	
	15,00,000	ii)	Employees Welfare Fund		15,00,000	
	29,46,598	iii)	Employees Insurance Fund		25,11,840	
	99,45,62,079	iv)	General Insurance Fund		1,19,22,23,199	
	28,91,523	v)	Employees HBA. Spl Benefit Fund		28,27,904	
	3,80,83,414	vi)	Family Security Fund		3,20,47,360	
	22,60,45,337	vii)	Corporate Social Responsibility Fund		30,77,04,034	
	21,26,83,067	viii)	Leave Encashment Fund		18,00,00,000	
9,36,52,11,216			**Total**			**12,82,21,68,957**
		C	**Statutory Reserves**			
	1,30,97,14,942	i)	Reserve for Replacement, Rehabilitation and Modernization of Capital assets		1,16,03,11,467	
	18,23,62,95,766	ii)	Reserve for Development Repayment of Loan and Contingencies		19,45,69,12,013	
19,54,60,10,708			Total			20,61,72,23,480
44,42,95,41,997			Total Reserves			49,48,11,39,262
1,61,15,05,257		3	Deferred tax Liability			1,63,89,27,457
1,35,43,10,183		4	Upfront Premium Received on Land			1,36,42,08,706
47,39,53,57,437			**TOTAL SOURCE OF FUNDS**			**52,48,42,75,425**
		II	**APPLICATION OF FUNDS**			
		1	**FIXED/CAPITAL ASSETS**	2		
	13,31,64,04,876	A	Gross Block		13,49,05,04,847	
	5,19,85,70,812		Less: Accumulated Depreciation		5,53,88,80,984	
	8,11,78,34,064		**Net Block**		**7,95,16,23,863**	
	15,47,82,658	B	Capital Work in Progress		51,08,84,455	
8,27,26,16,722			**TOTAL FIXED ASSETS**			**8,46,25,08,318**
		2	**INVESTMENTS**	3		
	2,92,00,00,004		Current investments		5,04,00,00,000	
	36,11,28,69,448		Long Term Investments		38,93,41,50,081	
39,03,28,69,452			**TOTAL INVESTMENTS**			**43,97,41,50,081**

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

31/03/2024 तक राशि रु.		क्र. सं	विवरण	अनुसूची		31/03/2025 तक राशि रु.
		3	**चालू परिसंपत्तियाँ ऋण व पेशगियाँ**			
		क	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	52,79,22,227	i)	निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		82,06,81,795	
52,79,22,227			**कुल प्रोद्भूत ब्याज**			**82,06,81,795**
1,48,32,501		ii)	माल सूची			1,22,23,458
		iii)	निवल फुटकर देनदार	4		
	18,74,08,090		क) सरकारी देय		35,82,10,619	
	41,43,00,501		ख) गैर सरकारी देय		32,23,52,498	
60,17,08,591			**निवल फुटकर देनदार**			**68,05,63,117**
		iv)	**नकद व बैंक शेष**			
	4,17,729		अन्य विभागों में नकदी		18,21,806	
			बैंक शेष			
	68,95,99,764		राष्ट्रीयकृत बैंक		12,63,26,928	
	-		एसबीआई के साथ कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट		1,24,66,83,148	
69,00,17,493			**कुल नकद व बैंक शेष**			**1,37,48,31,882**
		ख	**ऋण व अग्रिम**			
	1,01,99,79,121	i)	आय कर (टीडीएस)		1,07,69,13,193	
	4,44,80,24,892	ii)	प्रदत्त अग्रिम आयकर		4,00,77,10,115	
	5,29,76,867	iii)	सामान व सेवा कर प्रदत्त(आईटीसी)		3,41,21,876	
	10,42,59,520	iv)	आपूर्ति और अन्य हेतु जमा राशियाँ		10,52,65,209	
	1,00,29,900	v)	कर्मचारी संबंधी वसूलीयोग्य कर	5	90,65,964	
	7,76,99,161	vi)	अदालती मामलों के लिए कर जमा		8,80,78,127	
	-	vii)	अनुमानों पर भुगतान किया गया कर		1,79,51,479	
5,71,29,69,461			**कुल ऋण व अग्रिम**			**5,33,91,05,963**
7,54,74,50,273			**कुल चालू परिसंपत्तियाँ**			**8,22,74,06,215**

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY
Balance Sheet As At 31st March 2025

As on 31-3-2024 Amount ₹		S.No	Particulars	Sche-dules		As on 31-3-2025 Amount ₹
		3	**CURRENT ASSETS LOANS & ADVANCES:**			
		A	**Current Assets**			
	52,79,22,227	i)	Interest Accr. on Investments		82,06,81,795	
52,79,22,227			**Total Accrued interest**			**82,06,81,795**
1,48,32,501		ii)	Inventories			1,22,23,458
		iii)	Sundry Debtors	4		
	18,74,08,090		a) Government Dues		35,82,10,619	
	41,43,00,501		b) Non Government dues		32,23,52,498	
60,17,08,591			**Total Sundry Debtors**			**68,05,63,117**
		iv)	**Cash & Bank Balances**			
	4,17,729		Cash with Departments		18,21,806	
			Bank Balances			
	68,95,99,764		Nationalised Banks		12,63,26,928	
	-		Corporate Liquid Term Deposits with SBI		1,24,66,83,148	
69,00,17,493			**Total Cash & Bank Balances**			**1,37,48,31,882**
		B	**Loans & Advances**			
	1,01,99,79,121	i)	Income Tax (TDS)		1,07,69,13,193	
	4,44,80,24,892	ii)	Advance Income Tax paid		4,00,77,10,115	
	5,29,76,867	iii)	Goods & Service Tax Paid (ITC)		3,41,21,876	
	10,42,59,520	iv)	Deposits for Supplies & others		10,52,65,209	
	1,00,29,900	v)	Employee related advances	5	90,65,964	
	7,76,99,161	vi)	Tax Deposits for Court Cases		8,80,78,127	
	-	vii)	Tax Paid on Estimates		1,79,51,479	
5,71,29,69,461			**Total Loans & Advances**			**5,33,91,05,963**
7,54,74,50,273			**Total of Current Assets**			**8,22,74,06,215**

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र

31/03/2024 तक राशि रु.		क्र. सं	विवरण	अनुसूची		31/03/2025 तक राशि रु.
		4	**चालू देयताएँ और प्रावधान**			
		क	**चालू देयताएं**			
15,87,708		i)	अंशदायी पेंशन निधि खाता			35,03,860
		ii)	फुटकर लेनदार,जमा व देय			
			क) प्रोद्भूत व्यय			
	41,07,51,226		ठेकेदार और आकस्मिकता		66,10,86,863	
	40,70,000		कर्मचारी संबंधी हितलाभ		38,72,600	
	87,70,375		ऑडिट फी		1,70,40,750	
	20,12,83,604		अन्य		4,68,39,548	
	1,57,10,00,088		ख) ठेकेदार और ऐजन्ट्स से जमा		1,77,05,65,534	
	54,12,89,328		ग) कुलाई हार्बर योजना के तहत प्राप्त अग्रिम		57,24,55,048	
	59,35,73,124		घ) संपदा अग्रिम किराया		38,92,46,919	
	19,19,59,738		ई) एकत्रित कर (जीएसटी और अन्य)		20,89,36,512	
	3,87,75,846		च) विविध लेनदार, अन्य		4,13,61,570	
3,56,14,73,329			**कुल**			3,71,14,05,344
		iii)	अन्य देयताएं			
	32,29,208		एलआईसी आदि को वेतन कटौती		21,17,463	
32,29,208			**कुल**			**21,17,463**
59,00,22,372		iv)	**अंतर कंपनी शेष**			**16,84,72,705**
		ख	**प्रावधान**			
		i)	करारोपण हेतु			
	3,30,12,66,393		आयकर		4,29,42,89,817	
3,30,12,66,393			**कुल प्रावधान**			**4,29,42,89,817**
7,45,75,79,010			**कुल चालू देयताएं और प्रावधान**			**8,17,97,89,189**
8,98,71,263			**निवल चालू परिसंपत्तियाँ**			**4,76,17,026**
47,39,53,57,437			**निधियों का कुल उपयोग**			**52,48,42,75,425**

हस्ता/–
आर वीरराघवन
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
डॉ. ए.वी. रमणा
अध्यक्ष

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY
Balance Sheet As At 31st MARCH, 2025

As on 31-3-2024 Amount ₹		S.No	Particulars	Sche-dules		As on 31-3-2025 Amount ₹
		4	**CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**			
		A	**Current Liabilities**			
15,87,708		**i)**	**Contributory Pension Fund A/c**			**35,03,860**
		ii)	**Sundry Creditors, Deposits & Payables**			
			a) Accrued Expenses			
	41,07,51,226		Contractor & Contingencies		66,10,86,863	
	40,70,000		Employees Related benefits		38,72,600	
	87,70,375		Audit Fees		1,70,40,750	
	20,12,83,604		Others		4,68,39,548	
	1,57,10,00,088		b) Deposits from Contractors and Agents		1,77,05,65,534	
	54,12,89,328		c) Advance received Towards Kulai Harbor Project		57,24,55,048	
	59,35,73,124		d) Estate Advance Rent		38,92,46,919	
	19,19,59,738		e) Tax Collected (GST & others)		20,89,36,512	
	3,87,75,846		f) Sundry Creditors, Others		4,13,61,570	
3,56,14,73,329			**Total**			**3,71,14,05,344**
		iii)	Other Liabilities			
	32,29,208		Payroll deductions to LIC etc		21,17,463	
32,29,208			**Total**			**21,17,463**
59,00,22,372		**iv)**	**Inter company Balances**			**16,84,72,705**
		B	**Provisions**			
		i)	For Taxation			
	3,30,12,66,393		Income Tax		4,29,42,89,817	
3,30,12,66,393			**Total Provisions**			**4,29,42,89,817**
7,45,75,79,010			**Total of Current Liabilities & Provisions**			**8,17,97,89,189**
8,98,71,263			**NET CURRENT ASSETS**			**4,76,17,026**
47,39,53,57,437			**TOTAL APPLICATION OF FUNDS**			**52,48,42,75,425**

Sd/-
R. Veeraraghavan
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

Sd/-
Dr. A.V. RAMANA
Chairperson

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण
31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि खाता

विवरण	अनुसूची	राशि रु. 31 मार्च, 2025	राशि रु. 31 मार्च, 2024
माल ढुलाई व भंडारण प्रभार	6	4,23,18,45,273	4,00,87,71,562
पत्तन व गोदी प्रभार	7	3,55,83,91,090	3,29,61,89,679
रेलवे से अरजित	8	11,60,77,863	11,11,99,918
संपदा किराया	9	1,30,73,31,014	1,21,04,79,773
कुल प्रचालन आय		**9,21,36,45,240**	**8,62,66,40,932**
व्यय			
माल ढुलाई व भंडारण	10	85,93,68,547	83,49,97,358
शिप्पिंग हेतु पत्तन व गोदी सुविधाएं	11	1,39,23,70,549	1,35,72,97,006
रेलवे कार्य	12	4,56,14,784	1,14,41,431
किराया योग्य भूमि तथा भवन	13	16,30,81,624	14,09,25,463
प्रबंधन व सामान्य प्रशासनिक व्यय	14	64,31,19,263	58,29,48,209
कुल प्रचालन व्यय		**3,10,35,54,766**	**2,92,76,09,467**
प्रचालन अधिशेष		**6,11,00,90,474**	**5,69,90,31,465**
वित्त और विविध आय	15	1,81,62,37,558	1,50,92,28,934
वित्त और विविध व्यय	16	1,46,17,07,892	1,50,56,66,638
कर पूर्व लाभ		**6,46,46,20,140**	**5,70,25,93,761**
कराधारन हेतु प्रावधान			
1) वर्तमान कर		2,23,81,85,500	1,98,57,14,400
2) आस्थगित कर		2,07,06,800	(33,57,700)
कर पश्चात् लाभ		**4,20,57,27,840**	**3,72,02,37,061**
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल राशि		**4,20,57,27,840**	3,72,02,37,061
विनियोजन			
पूंजी आरक्षित (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर लाभ)		2,99,250	96,76,853
कुलाई फिशिंग हार्बर ब्याज		3,76,32,769	4,47,21,434
कर्मचारी बीमा निधि		5,000	5,000
सामान्य बीमा निधि		20,00,00,000	20,00,00,000
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि		14,42,00,000	7,45,00,000
कर्मचारी कल्याण निधि		20,000	22,000
पूंजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास व आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि		30,00,00,000	30,00,00,000
विकास व ऋण एवं आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षित निधि		30,00,00,000	30,00,00,000
कुल विनियोजन		**98,21,57,019**	**92,89,25,287**
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित अधिशेष		**3,22,35,70,821**	**2,79,13,11,774**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
लेखा पर विवरण	18		

हस्ता/–
आर वीरराघवन
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/–
डॉ. ए.वी. रमणा
अध्यक्ष

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2025

Particulars	Sch No.	Amt. ₹ 31st March, 2025	Amt. ₹ 31st March, 2024
Cargo Handling & Storage Charges	6	4,23,18,45,273	4,00,87,71,562
Port & Dock Charges	7	3,55,83,91,090	3,29,61,89,679
Railway Earnings	8	11,60,77,863	11,11,99,918
Estate Rentals	9	1,30,73,31,014	1,21,04,79,773
Total Operating Income		**9,21,36,45,240**	**8,62,66,40,932**
EXPENDITURE			
Cargo Handling & Storage	10	85,93,68,547	83,49,97,358
Port &Dock Facilities For Shipping	11	1,39,23,70,549	1,35,72,97,006
Railway Workings	12	4,56,14,784	1,14,41,431
Rentable Land & Buildings	13	16,30,81,624	14,09,25,463
Management & General Administrative Expenses	14	64,31,19,263	58,29,48,209
Total Operating Expenditure		**3,10,35,54,766**	**2,92,76,09,467**
Operating Surplus		**6,11,00,90,474**	**5,69,90,31,465**
Finance & Miscellaneous Income	15	1,81,62,37,558	1,50,92,28,934
Finance & Miscellaneous Expenditure	16	1,46,17,07,892	1,50,56,66,638
PROFIT BEFORE TAX		**6,46,46,20,140**	**5,70,25,93,761**
Provision for Taxation			
1) Current Tax		2,23,81,85,500	1,98,57,14,400
2) Deferred Tax		2,07,06,800	(33,57,700)
PROFIT AFTER TAX		**4,20,57,27,840**	**3,72,02,37,061**
Total available for Appropriation		**4,20,57,27,840**	**3,72,02,37,061**
Appropriation			
Capital Reserve (Profit on sale of Capital Asset)		2,99,250	96,76,853
Kulai Fishing Harbour Interest		3,76,32,769	4,47,21,434
Employees Insurance Fund		5,000	5,000
General Insurance Fund		20,00,00,000	20,00,00,000
Corporate Social Responsibility Fund		14,42,00,000	7,45,00,000
Employees Welfare Fund		20,000	22,000
Reserve for Repl., Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets		30,00,00,000	30,00,00,000
Reserve for Dev. & Repayment of Loans & Contingencies		30,00,00,000	30,00,00,000
TOTAL APPROPRIATIONS		**98,21,57,019**	**92,89,25,287**
Surplus transferred to General Reserve Fund		**3,22,35,70,821**	**2,79,13,11,774**
Significant Accounting Policies	**17**		
Notes On Accounts	**18**		

Sd/-
R. Veeraraghavan
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

Sd/-
Dr. A.V. RAMANA
Chairperson

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची : 1 – पूंजी व सामान्य आरक्षित

क्र. सं.	विवरण	पूंजी आरक्षित	पूंजीगत परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन, पुनर्वास व आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित	सामान्य आरक्षित	सरकारी आदि से सहायता अनुदान	विकास, ऋण व आकस्मिताओं की अदायगी के लिए आरक्षित	सामान्य बीमा निधि	कर्मचारी बीमा निधि	सी एस आर निधि	छुट्टी के नगदीकरण निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	कर्मचारी एचबीए विशेष परिवार हित–लाभ निधि
		22010511 रु.	22030512 रु.	22020513 रु.	22010515 रु.	22030524 रु.	22022520 रु.	22022514 रु.	22022516 रु.	26040580 रु.	22022517 रु.	22022518 रु.	22022519 रु.
क	**आरंभिक शेष**												
	1 सरकारी	65,16,47,201											
	2 पत्तन	14,55,35,92,457	1,30,97,14,942	7,88,64,99,198	14,68,16,948	18,23,62,95,766	99,45,62,079	29,46,598	22,60,45,337	21,26,83,067	15,00,000	3,80,83,414	28,91,523
	3 अन्य	16,62,63,467	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**15,37,15,03,125**	**1,30,97,14,942**	**7,88,64,99,198**	**14,68,16,948**	**18,23,62,95,766**	**99,45,62,079**	**29,46,598**	**22,60,45,337**	**21,26,83,067**	**15,00,000**	**3,80,83,414**	**28,91,523**
ख	**जोड़े :**												
	1 राजस्व खाते से योगदान		30,00,00,000	3,22,35,70,821		30,00,00,000	20,00,00,000	5,000	14,42,00,000		20,000		
	2 दूसरों का योगदान												
	3 से स्थानांतरित राशि												
	क पूंजी आरक्षित/विकास आरक्षित												
	ख पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	53,16,31,759											
	ग सहायता अनुदान												
	घ सीएसआर फंड से स्थानांतरण												
	4 वर्ष के दौरान अर्जित निवेश पर ब्याज		10,46,46,224			1,45,70,80,031	7,94,65,511	2,35,434	1,80,45,042	1,87,35,376		30,42,865	
	5 विविध प्राप्तियां	2,99,250				-				1,73,76,903		88,300	11,315
ग	**1 पत्तन**	**53,19,31,009**	**40,46,46,224**	**3,22,35,70,821**	**-**	**1,75,70,80,031**	**27,94,65,511**	**2,40,434**	**16,22,45,042**	**3,61,12,279**	**20,000**	**31,31,165**	**11,315**
	कुल वृद्धि	**53,19,31,009**	**40,46,46,224**	**3,22,35,70,821**	**-**	**1,75,70,80,031**	**27,94,65,511**	**2,40,434**	**16,22,45,042**	**3,61,12,279**	**20,000**	**31,31,165**	**11,315**
घ	**घटाएं:**												
	1 सहायता अनुदान में हस्तांतरित राशि												
	2 वर्ष के दौरान व्यय				55,13,543				4,38,48,705	4,18,93,850	20,000	1,90,083	
	3 पूंजी आरक्षित में स्थानांतरण		53,16,31,759										
	4 सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित												
	5 निधियों पर अर्जित ब्याज के लिए आयकर प्रावधान						2,77,68,428	82,270	63,05,660	65,46,890		10,63,299	
	6 पिछले वर्ष के कर व्यय		2,24,17,940		29,90,714	53,64,63,784	5,40,35,963	5,92,922	3,04,31,980	2,03,54,606		79,13,837	74,934
	7 आस्थगित कर में स्थानांतरित			67,15,400									
ड.	**1 पत्तन**	-	55,40,49,699	67,15,400	85,04,257	53,64,63,784	8,18,04,391	6,75,192	8,05,86,345	6,87,95,346	20,000	91,67,219	74,934
		-	**55,40,49,699**	**67,15,400**	**85,04,257**	**53,64,63,784**	**8,18,04,391**	**6,75,192**	**8,05,86,345**	**6,87,95,346**	**20,000**	**91,67,219**	**74,934**
च	**अंतिम शेष**												
	1 सरकारी	65,16,47,201	-		-	-	-	-	-		-	-	-
	2 पत्तन	15,08,55,23,466	1,16,03,11,467	11,10,33,54,619	13,83,12,691	19,45,69,12,013	1,19,22,23,199	25,11,840	30,77,04,034	18,00,00,000	15,00,000	3,20,47,360	28,27,904
	3 अन्य	16,62,63,467	–			–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**15,90,34,34,134**	**1,16,03,11,467**	**11,10,33,54,619**	**13,83,12,691**	**19,45,69,12,013**	**1,19,22,23,199**	**25,11,840**	**30,77,04,034**	**18,00,00,000**	**15,00,000**	**3,20,47,360**	**28,27,904**

SCHEDULE TO THE BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2025

SCHEDULE : 1 - CAPITAL AND GENERAL RESERVES

S. No	Particulars	Capital Reserve	Reserve for Replacement, Rehabilitation and Modernization of Capital asset	General Reserve	Grant-in Aid from Govt/etc.,	Reserve for Development, Repayment of Loan &Contn.	General Insurance Fund	Employees Insurance Fund	CSR Fund	Leave Encashment Fund	Employees Welfare Fund	Family Security Fund	Employees HBA Sp Family Benefit.Fund
		22010511	22030512	22020513	22010515	22030524	22022520	22022514	22022516	26040580	22022517	22022518	22022519
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	Opening Balance												
	1 Govt.	65,16,47,201											
	2 Port	14,55,35,92,457	1,30,97,14,942	7,88,64,99,198	14,68,16,948	18,23,62,95,766	99,45,62,079	29,46,598	22,60,45,337	21,26,83,067	15,00,000	3,80,83,414	28,91,523
	3 Others	16,62,63,467	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**15,37,15,03,125**	**1,30,97,14,942**	**7,88,64,99,198**	**14,68,16,948**	**18,23,62,95,766**	**99,45,62,079**	**29,46,598**	**22,60,45,337**	**21,26,83,067**	**15,00,000**	**3,80,83,414**	**28,91,523**
B	**ADD :**												
	1 Contribution from Revenue Account		30,00,00,000	3,22,35,70,821		30,00,00,000	20,00,00,000	5,000	14,42,00,000		20,000		
	2 Contribution from Others												
	3 Amount transferred from												
	a Capital Reserve/Devt.Reserve												
	b Capital Asset Replacement Reserve	53,16,31,759											
	c Grant-in-Aid												
	d Transfer from CSR Fund												
	4 Interest on investment earned during the year		10,46,46,224			1,45,70,80,031	7,94,65,511	2,35,434	1,80,45,042	1,87,35,376		30,42,865	
	5 Miscellaneous Receipts	2,99,250				-				1,73,76,903		88,300	11,315
C	**1 Port**	**53,19,31,009**	**40,46,46,224**	**3,22,35,70,821**	**-**	**1,75,70,80,031**	**27,94,65,511**	**2,40,434**	**16,22,45,042**	**3,61,12,279**	**20,000**	**31,31,165**	**11,315**
	Total Additions	**53,19,31,009**	**40,46,46,224**	**3,22,35,70,821**	**-**	**1,75,70,80,031**	**27,94,65,511**	**2,40,434**	**16,22,45,042**	**3,61,12,279**	**20,000**	**31,31,165**	**11,315**
D	**DEDUCT :**												
1	Amount transferred to Grant in Aid												
2	Expenditure during the year				55,13,543				4,38,48,705	4,18,93,850	20,000	1,90,083	
3	Transfer to Capital Reserve		53,16,31,759										
4	Transferred to General resereve												
5	Income Tax Provision Towards Interest Earned on Funds						2,77,68,428	82,270	63,05,660	65,46,890		10,63,299	
6	Past year Tax Expenses		2,24,17,940		29,90,714	53,64,63,784	5,40,35,963	5,92,922	3,04,31,980	2,03,54,606		79,13,837	74,934
7	Transfer to Deffered tax			67,15,400									
E	**Port**	**-**	**55,40,49,699**	**67,15,400**	**85,04,257**	**53,64,63,784**	**8,18,04,391**	**6,75,192**	**8,05,86,345**	**6,87,95,346**	**20,000**	**91,67,219**	**74,934**
		-	**55,40,49,699**	**67,15,400**	**85,04,257**	**53,64,63,784**	**8,18,04,391**	**6,75,192**	**8,05,86,345**	**6,87,95,346**	**20,000**	**91,67,219**	**74,934**
F	**Closing Balance**												
	1 Govt.	65,16,47,201	-		-	-	-	-	-		-	-	-
	2 Port	15,08,55,23,466	1,16,03,11,467	11,10,33,54,619	13,83,12,691	19,45,69,12,013	1,19,22,23,199	25,11,840	30,77,04,034	18,00,00,000	15,00,000	3,20,47,360	28,27,904
	3 Others	16,62,63,467	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**15,90,34,34,134**	**1,16,03,11,467**	**11,10,33,54,619**	**13,83,12,691**	**19,45,69,12,013**	**1,19,22,23,199**	**25,11,840**	**30,77,04,034**	**18,00,00,000**	**15,00,000**	**3,20,47,360**	**28,27,904**

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची: 2 नियत परिसंपत्तियां व मूल्यह्रास

क्रसं.	परिसंपत्तियों का विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
		01-04-2024 की स्थिति के अनुसार	2024-25 के दौरान वृद्धियां	2024-25 के दौरान कटौतियां	31-03-2025 तक	01-04-2024 तक	2024-25 के दौरान मूल्यह्रास	2024-25 के दौरान समायोजन	31-03-2025 तक	31-03-2025 तक
		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1	भूमि	3,72,91,489	-	-	3,72,91,489	-	-	-	-	3,72,91,489
2	कैपिटल ड्रेजिंग	2,53,34,02,418	-	-	2,53,34,02,418	63,76,34,841	2,53,34,024	-	66,29,68,865	1,87,04,33,553
3	भवन, शेड, अन्य संरचनाएं	1,64,38,58,826	17,15,411	17,15,411	1,64,38,58,826	36,40,99,791	3,40,82,388	-	39,81,82,179	1,24,56,76,647
4	घाट, सड़कें और सीमाएँ	2,70,00,56,674	7,59,57,994	-	2,77,60,14,668	88,85,43,858	6,49,54,324	-	95,34,98,182	1,82,25,16,486
5	तैरते जलयान	28,29,39,884	-	-	28,29,39,884	21,03,00,889	1,39,33,109	-	22,42,33,998	5,87,05,886
6	रेलवे रोलिंग स्टॉक	36,26,97,068	-	-	36,26,97,068	8,29,25,143	63,80,223	-	8,93,05,366	27,33,91,702
7	गोदी/दीवार, घाट, और सहायक उपकरण, जेटी	2,88,87,12,672	-	-	2,88,87,12,672	76,12,11,806	4,41,13,305	-	80,53,25,111	2,08,33,87,561
8	क्रेन और वाहन	50,25,13,164	-	-	50,25,13,164	50,24,67,740	24,775	-	50,24,92,515	20,649
9	संयंत्र और मशीनरी	1,35,73,47,249	7,50,93,784	38,98,770	1,42,85,42,263	96,99,32,469	13,09,04,877	15,57,870	1,09,92,79,476	32,92,62,787
10	जल एवं विद्युत, दूरसंचार, एफएफएफ संस्थान	95,56,97,729	97,95,607	1,63,784	96,53,29,552	72,95,66,571	2,13,79,099	7,643	75,09,38,027	21,43,91,525
11	तेल पाइपलाइन स्थापना.	5,18,87,703	1,73,15,140	-	6,92,02,843	5,18,87,703	7,69,562	-	5,26,57,265	1,65,45,578
	कुल संपत्ति	**13,31,64,04,876**	**17,98,77,936**	**57,77,965**	**13,49,05,04,847**	**5,19,85,70,811**	**34,18,75,686**	**15,65,513**	**5,53,88,80,984**	**7,95,16,23,863**
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	15,47,82,658	53,16,31,759	17,55,29,962	51,08,84,455	-	-	-	-	51,08,84,455
	कुल योग	**13,47,11,87,534**	**71,15,09,695**	**18,13,07,927**	**14,00,13,89,302**	**5,19,85,70,811**	**34,18,75,686**	**15,65,513**	**5,53,88,80,984**	**8,46,25,08,318**

SCHEDULE TO THE BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2025

SCHEDULE : 2 - FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

S.No	Particulars of Asset	Gross Block at Cost				Depreciation				Net Block
		As On 01-04-2024	Additions during 2024-25	Deletions during 2024-25	As on 31-3-2025	As on 01-04-2025	Dep during 2024 - 2025	Adj's during 2024 - 2025	As on 31-03-2025	As on 31/03/2025
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Land	3,72,91,489	-	-	3,72,91,489	-	-	-	-	3,72,91,489
2	Capital Dredging	2,53,34,02,418	-	-	2,53,34,02,418	63,76,34,841	2,53,34,024	-	66,29,68,865	1,87,04,33,553
3	Bldgs, Sheds, Other Structures	1,64,38,58,826	17,15,411	17,15,411	1,64,38,58,826	36,40,99,791	3,40,82,388	-	39,81,82,179	1,24,56,76,647
4	Wharves, Roads & Boundaries	2,70,00,56,674	7,59,57,994	-	2,77,60,14,668	88,85,43,858	6,49,54,324	-	95,34,98,182	1,82,25,16,486
5	Floating Crafts	28,29,39,884	-	-	28,29,39,884	21,03,00,889	1,39,33,109	-	22,42,33,998	5,87,05,886
6	Railway Rolling Stock	36,26,97,068	-	-	36,26,97,068	8,29,25,143	63,80,223	-	8,93,05,366	27,33,91,702
7	Dock, S/wall, Piers, N.Aids, Jetty	2,88,87,12,672	-	-	2,88,87,12,672	76,12,11,806	4,41,13,305	-	80,53,25,111	2,08,33,87,561
8	Cranes & Vehicles	50,25,13,164	-	-	50,25,13,164	50,24,67,740	24,775	-	50,24,92,515	20,649
9	Plant & Machinery	1,35,73,47,249	7,50,93,784	38,98,770	1,42,85,42,263	96,99,32,469	13,09,04,877	15,57,870	1,09,92,79,476	32,92,62,787
10	Inst. for Water&Ele,Telecom,FFF	95,56,97,729	97,95,607	1,63,784	96,53,29,552	72,95,66,571	2,13,79,099	7,643	75,09,38,027	21,43,91,525
11	Oil Pipeline Instl.	5,18,87,703	1,73,15,140	-	6,92,02,843	5,18,87,703	7,69,562	-	5,26,57,265	1,65,45,578
	Total of Assets	**13,31,64,04,876**	**17,98,77,936**	**57,77,965**	**13,49,05,04,847**	**5,19,85,70,811**	**34,18,75,686**	**15,65,513**	**5,53,88,80,984**	**7,95,16,23,863**
	Capital Works in Progress	15,47,82,658	53,16,31,759	17,55,29,962	51,08,84,455	-	-	-	-	51,08,84,455
	Grand Total	**13,47,11,87,534**	**71,15,09,695**	**18,13,07,927**	**14,00,13,89,302**	**5,19,85,70,811**	**34,18,75,686**	**15,65,513**	**5,53,88,80,984**	**8,46,25,08,318**

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची : 3 निवेशों की सूची

क्र सं.	बैंक/वित्तीय संस्थान	पूंजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित निधि	विकास के लिए आरक्षित निधि, ऋण चुकौती निधि	कर्मचारी बीमा निधि	नकद अधिशेष निधि	शेयर्स	छुट्टी नकदीकरण	सीएसआर निधि	सामान्य बीमा निधि	परिवार सुरक्षा निधि	कुल (रूपये में)
		जीएलसी 789	जीएलसी 796	जीएलसी 787	जीएलसी 785	जीएलसी 782	जीएलसी 788	जीएलसी 783	जीएलसी 784	जीएलसी 795	
I	**उद्धृत निवेश**										
1	**डीसीआईएल**					93,78,723					93,78,723
2	यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड				1,03,72,11,927						1,03,72,11,927
3	बड़ौदा बीएनपी परिबास-म्यूचुअल फंड				1,82,507						1,82,507
4	एसबीआई-म्यूचुअल फंड				1,11,97,24,628						1,11,97,24,628
5	केनरा रोबेको-म्यूचुअल फंड				1,80,984						1,80,984
	कुल I	**-**	**-**	**-**	**2,15,73,00,046**	**93,78,723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,16,66,78,769**
II	**अनिर्दिष्ट निवेश**										
क	**दीर्घकालिक निवेश**										
1	एनएचएआई (एनएमपी रोड कंपनी लि.)					36,30,00,000					36,30,00,000
2	आईपीआरसीएल					7,20,00,000					7,20,00,000
3	एचएमआरडीसी					10,00,00,000					10,00,00,000
4	एलआईसी ऑफ इंडिया	1,41,43,61,166	19,69,33,75,797	31,82,031	12,31,49,59,843		25,75,48,229	24,38,90,379	1,07,40,27,589	4,11,26,278	35,04,24,71,312
5	यूनियन बैंक-एफडी				59,00,00,000						59,00,00,000
6	बैंक ऑफ बड़ौदा - एफडी				25,00,00,000						25,00,00,000
7	पंजाब एंड सिंध बैंक - एफडी				35,00,00,000						35,00,00,000
	कुल- क	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**13,50,49,59,843**	**53,50,00,000**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**36,76,74,71,312**
I	**वर्तमान निवेश**										
1	यूनियन बैंक-एफडी				3,03,00,00,000						3,03,00,00,000
2	केनरा बैंक - एफडी				29,00,00,000						29,00,00,000
3	भारतीय स्टेट बैंक - एफडी				1,01,00,00,000						1,01,00,00,000
4	एचडीएफसी - एफडी				71,00,00,000						71,00,00,000
	कुल- I	**-**	**-**	**-**	**5,04,00,00,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,04,00,00,000**
	कुल -II (क+ख)	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**18,54,49,59,843**	**53,50,00,000**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**41,80,74,71,312**
	कुल योग - I+II	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**20,70,22,59,889**	**54,43,78,723**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**43,97,41,50,081**

SCHEDULE TO THE BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2025

SCHEDULE : 3 LIST OF INVESTMENTS

Sl.No	Bank / F. Institutions	Capital Asset Replacement Reserve Fund	Reserve for Development, Repayment of loan Fund	Employees Insurance Fund	Cash Surplus Fund	Shares	Leave encashment	CSR Fund	General Insurance Fund	Family Security Fund	Total (In Rupees)
		GLC 789	GLC 796	GLC 787	GLC 785	GLC 782	GLC 788	GLC 783	GLC 784	GLC 795	
I	**QUOTED INVESTMENTS**										
1	DCIL					93,78,723					93,78,723
2	UTI Treasury Advantage Fund				1,03,72,11,927						1,03,72,11,927
3	Baroda BNP Paribas-Mutual Fund				1,82,507						1,82,507
4	SBI-Mutual Fund				1,11,97,24,628						1,11,97,24,628
5	Canara Robeco-Mutual Fund				1,80,984						1,80,984
	TOTAL- I	**-**	**-**	**-**	**2,15,73,00,046**	**93,78,723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,16,66,78,769**
II	**UNQUOTED INVESTMENTS**										
A	**LONG TERM INVESTMENTS**										
1	NHAI(NMP Road Company Ltd)					36,30,00,000					36,30,00,000
2	IPRCL					7,20,00,000					7,20,00,000
3	HMRDC					10,00,00,000					10,00,00,000
4	LIC Of India	1,41,43,61,166	19,69,33,75,797	31,82,031	12,31,49,59,843		25,75,48,229	24,38,90,379	1,07,40,27,589	4,11,26,278	35,04,24,71,312
5	Union Bank-Fixed Deposit				59,00,00,000						59,00,00,000
6	Bank of Baroda -Fixed Deposit				25,00,00,000						25,00,00,000
7	Punjab & Sind Bank - Fixed Dep.				35,00,00,000						35,00,00,000
	TOTAL- A	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**13,50,49,59,843**	**53,50,00,000**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**36,76,74,71,312**
B	**CURRENT INVESTMENTS**										
1	Union Bank-Fixed Deposit				3,03,00,00,000						3,03,00,00,000
2	Canara Bank - Fixed Deposit				29,00,00,000						29,00,00,000
3	State Bank of India - Fixed Dep.				1,01,00,00,000						1,01,00,00,000
4	HDFC - Fixed Deposit				71,00,00,000						71,00,00,000
	TOTAL- B	**-**	**-**	**-**	**5,04,00,00,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,04,00,00,000**
	TOTAL -II (A+B)	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**18,54,49,59,843**	**53,50,00,000**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**41,80,74,71,312**
	GRAND TOTAL - I+II	**1,41,43,61,166**	**19,69,33,75,797**	**31,82,031**	**20,70,22,59,889**	**54,43,78,723**	**25,75,48,229**	**24,38,90,379**	**1,07,40,27,589**	**4,11,26,278**	**43,97,41,50,081**

दिनांक 31मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची : 4 : फुटकर देनदार

क्र सं.	विवरण	823 पत्तन देय रू.	825 संपदा देय रू.	906 संपदा शास्ति रू.	827 16000010 राजस्व विविध रू.	कुल देय रू.
1	6 माह से कम					
	सरकारी एजेन्सियां	27,82,30,205	1,17,68,873		2,96,456	29,02,95,534
	अन्य	22,42,99,171	1,32,20,241		27,40,579	24,02,59,991
	आंशिक कुल	**50,25,29,376**	**2,49,89,114**	**-**	**30,37,035**	**53,05,55,525**
2	6 माह से कम					
	सरकारी एजेन्सियां	1,37,68,897	60,96,368	-	4,80,49,820	6,79,15,085
	अन्य	1,14,49,600	13,23,780	1,78,34,643	5,14,84,484	8,20,92,507
	आंशिक कुल	**2,52,18,497**	**74,20,148**	**1,78,34,643**	**9,95,34,304**	**15,00,07,592**
3	कुल देय					
	सरकारी एजेन्सियां	29,19,99,102	1,78,65,241	-	4,83,46,276	35,82,10,619
	अन्य	23,57,48,771	1,45,44,021	1,78,34,643	5,42,25,063	32,23,52,498
	कुल योग	**52,77,47,873**	**3,24,09,262**	**1,78,34,643**	**10,25,71,339**	**68,05,63,117**

SCHEDULE TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

SCHEDULE : 4 - SUNDRY DEBTORS

S.No	Particulars	823 Port Dues Rs.	825 Estate Dues Rs.	906 Estate Penalty Rs.	827 16000010 R. Misc Rs.	Total Dues Rs.
1	**Less than 6 Months**					
	Govt agencies	27,82,30,205	1,17,68,873		2,96,456	29,02,95,534
	Others	22,42,99,171	1,32,20,241		27,40,579	24,02,59,991
	Sub Total	**50,25,29,376**	**2,49,89,114**	**-**	**30,37,035**	**53,05,55,525**
2	**More than 6 Months**					
	Govt agencies	1,37,68,897	60,96,368	-	4,80,49,820	6,79,15,085
	Others	1,14,49,600	13,23,780	1,78,34,643	5,14,84,484	8,20,92,507
	Sub Total	**2,52,18,497**	**74,20,148**	**1,78,34,643**	**9,95,34,304**	**15,00,07,592**
3	**Total dues**					
	Govt agencies	29,19,99,102	1,78,65,241	-	4,83,46,276	35,82,10,619
	Others	23,57,48,771	1,45,44,021	1,78,34,643	5,42,25,063	32,23,52,498
	Grand Total	**52,77,47,873**	**3,24,09,262**	**1,78,34,643**	**10,25,71,339**	**68,05,63,117**

दिनांक 31मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची : 5 : कर्मचारी संबंधी अग्रिम

31/03/2024 के अनुसार रू.	विवरण	31/03/2025 के अनुसार रू.
5,17,483	मोटर कार अग्रिम	3,15,069
37,47,094	एचबीए(एनएमपीए)	22,91,288
42,64,577	**पूर्ण रूप से प्रतिभूत कुल ऋण**	**26,06,357**
54,98,299	त्योहार अग्रिम	60,52,671
2,67,024	कम्प्यूटर अग्रिम	4,06,936
57,65,323	अन्य कर्मचारी अग्रिम	64,59,607
1,00,29,900	**कुल कर्मचारी संबंधित अग्रिम**	**90,65,964**

SCHEDULE TO BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

SCHEDULE : 5 : EMPLOYEE RELATED ADVANCES

Amount as on 31/03/2024 Rs.	Particulars	Amount as on 31/03/2025 Rs.
5,17,483	Motor Car Advance	3,15,069
37,47,094	HBA (N M P A)	22,91,288
42,64,577	**Total of Fully Secured Loans**	**26,06,357**
54,98,299	Festival advance	60,52,671
2,67,024	Computer Advance	4,06,936
57,65,323	**Other Employee advances**	**64,59,607**
1,00,29,900	**Total Employee related advances**	**90,65,964**

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की अनुसूचियां

क्र. सं	आय	अनुसूची	31 मार्च, 2025 राशि रू.	31 मार्च, 2024 राशि रू.
	कार्गो हैंडलिंग और भंडारण शुल्क	6		
1	हैंडलिंग और भंडारण शुल्क (कंटेनर को छोड़कर)		3,16,58,18,748	3,02,75,24,352
2	बीओटी अनुबंधों से आय		1,02,10,86,643	93,25,45,889
3	विविध आय		4,49,39,882	4,87,01,321
	कुल		**4,23,18,45,273**	**4,00,87,71,562**
	पत्तन और गोदी शुल्क	7		
1	पायलटेज, टोवेज आदि के लिए शुल्क,		2,00,67,53,976	1,87,93,16,599
2	बर्थ किराया शुल्क		46,91,17,546	40,86,98,936
3	पत्तन देय		1,02,80,14,699	96,59,94,848
4	विविध आय		5,45,04,869	4,21,79,296
	कुल		**3,55,83,91,090**	**3,29,61,89,679**
	रेलवे से अर्जित	8		
1	विविध प्रभार		11,60,77,863	11,11,99,918
	कुल		**11,60,77,863**	**11,11,99,918**
	संपदा किराया	9		
1	भूमि का किराया		1,22,44,50,385	1,11,35,42,514
2	भवन,शेड और गोदामों से किराया		5,46,11,516	5,92,30,156
3	विविध आय		2,82,69,113	3,77,07,103
	कुल		**1,30,73,31,014**	**1,21,04,79,773**
	कुल प्रचालन आय		**9,21,36,45,240**	**8,62,66,40,932**
	वित्त व विविध आय	15		
1	सामान्य निवेशों पर ब्याज		1,56,09,28,741	1,34,31,24,459
2	ऋण और अग्रिम पर ब्याज		6,24,268	4,17,615
3	अवधि पूर्व आय		1,13,82,840	1,86,84,390
4	विविध प्राप्तियां		10,50,81,981	7,23,45,120
5	पूंजीगत परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ		2,99,250	1,47,00,046
6	बीमांकिक मूल्यांकन लाभ		-	5,01,60,225
7	पट्टे के हस्तांतरण पर शुल्क		-	97,97,079
8	आयकर वापसी पर ब्याज		13,79,20,478	-
	कुल		**1,81,62,37,558**	**1,50,92,28,934**

SCHEDULES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2025

Sl. No.	Income	Schedule	31st March, 2025 Amt. Rs.	31st March, 2024 Amt. Rs.
	CARGO HANDLING & STORAGE CHARGES	6		
1	Handling & Storage Charges (Excluding Container)		3,16,58,18,748	3,02,75,24,352
2	Income from BOT contracts		1,02,10,86,643	93,25,45,889
3	Miscellaneous Income		4,49,39,882	4,87,01,321
	TOTAL		**4,23,18,45,273**	**4,00,87,71,562**
	PORT & DOCK CHARGES	7		
1	Fees for pilotage, towage etc.,		2,00,67,53,976	1,87,93,16,599
2	Berth hire charges		46,91,17,546	40,86,98,936
3	Port dues		1,02,80,14,699	96,59,94,848
4	Miscellaneous income		5,45,04,869	4,21,79,296
	TOTAL		**3,55,83,91,090**	**3,29,61,89,679**
	RAILWAY EARNINGS	8		
1	Miscellaneous charges		11,60,77,863	11,11,99,918
	TOTAL		**11,60,77,863**	**11,11,99,918**
	ESTATE RENTALS	9		
1	Rent from land		1,22,44,50,385	1,11,35,42,514
2	Rent from building, sheds and godowns		5,46,11,516	5,92,30,156
3	Miscellaneous income		2,82,69,113	3,77,07,103
	TOTAL		**1,30,73,31,014**	**1,21,04,79,773**
	TOTAL OPERATING INCOME		**9,21,36,45,240**	**8,62,66,40,932**
	FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME	15		
1	Interest on General investments		1,56,09,28,741	1,34,31,24,459
2	Interest on Loans & advances		6,24,268	4,17,615
3	Prior Period Income		1,13,82,840	1,86,84,390
4	Sundry Receipts		10,50,81,981	7,23,45,120
5	Profit on disposal of capital Asset		2,99,250	1,47,00,046
6	Actuarial valuation Gain		-	5,01,60,225
7	Fee on transfer of Lease		-	97,97,079
8	Interest on refund of Income tax		13,79,20,478	-
	TOTAL		**1,81,62,37,558**	**1,50,92,28,934**

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की अनुसूचियां

क्र. सं	व्यय	अनुसूची	31 मार्च, 2025 राशि रू.	31 मार्च, 2024 राशि रू.
I	**कार्गो हैंडलिंग और भंडारण शुल्क**	**10**		
1	शेडों और घाटों पर सामान्य कार्गो का संचालन और भंडारण		40,19,99,031	40,28,07,988
2	माल गोदाम		5,24,26,733	5,34,83,459
3	कंटेनर हैंडलिंग और अन्य क्रेन का संचालन और प्रबंधन		2,14,05,336	55,56,337
4	गोदी और बंदरों पर सामान्य सुविधाओं पर व्यय		6,65,92,318	5,83,60,048
5	प्रशासन व सामान्य व्यय		11,49,95,963	6,97,82,631
6	मूल्यह्रास		20,19,49,166	24,50,06,895
	कुल		**85,93,68,547**	**83,49,97,358**
II	**शिपिंग के लिए पत्तन और गोदी सुविधाएं**	**11**		
1	बर्थिंग और मूरिंग		67,04,89,960	45,37,47,616
2	प्रदूषण नियंत्रण		1,79,41,658	1,29,57,530
3	पायलटेज और टोइंग		6,38,84,288	4,07,08,625
4	शिपिंग के लिए जल आपूर्ति		93,605	2,77,398
5	अग्निशमन		9,54,66,215	9,24,56,373
6	ड्रेजिंग और समुद्री सर्वेक्षण		38,71,65,323	54,14,30,086
7	नेविगेशनल एड्स का संचालन और रखरखाव		18,91,725	24,78,927
8	गोदी, पत्तन की दीवारों और समुद्री संरचनाओं का रखरखाव		1,14,08,549	94,32,827
9	पत्तन संपत्तियों का बीमा		6,39,46,113	6,50,21,353
10	प्रशासन एवं सामान्य व्यय		2,98,35,373	6,64,65,992
11	मूल्यह्रास		5,02,47,740	7,23,20,279
	कुल		**1,39,23,70,549**	**1,35,72,97,006**
III	**रेलवे कार्य**	**12**		
1	प्रशासन एवं सामान्य व्यय		3,92,34,561	50,61,208
2	मूल्यह्रास		63,80,223	63,80,223
	कुल		**4,56,14,784**	**1,14,41,431**
IV	**किराया योग्य भूमि और भवन**	**13**		
1	संपदा अनुरक्षण		8,67,89,918	5,30,34,257
2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय		1,18,13,892	1,78,34,763
3	मूल्यह्रास		6,44,77,814	7,00,56,443
	कुल		**16,30,81,624**	**14,09,25,463**

SCHEDULES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2025

Sl. No.	Expenditure	Schedule	31st March, 2025 Amt. Rs.	31st March, 2024 Amt. Rs.
I	**Cargo Handling & Storage Charges**	10		
1	Handling and Stg of Gen Cargo at sheds and Wharves		40,19,99,031	40,28,07,988
2	Warehousing		5,24,26,733	5,34,83,459
3	Operating & Mtc. Of Container Handling & Other Cranes		2,14,05,336	55,56,337
4	Expenditure on General Facilities at docks and Bunders		6,65,92,318	5,83,60,048
5	Administration & General Expenses		11,49,95,963	6,97,82,631
6	Depreciation		20,19,49,166	24,50,06,895
	Total		**85,93,68,547**	**83,49,97,358**
II	**Port & Dock Facilities for Shipping**	11		
1	Berthing & Mooring		67,04,89,960	45,37,47,616
2	Pollution Control		1,79,41,658	1,29,57,530
3	Pilotage & Towing		6,38,84,288	4,07,08,625
4	Water Supply to Shipping		93,605	2,77,398
5	Fire fighting		9,54,66,215	9,24,56,373
6	Dredging & Marine Survey		38,71,65,323	54,14,30,086
7	Operation & Mtc. Of Navigational Aids		18,91,725	24,78,927
8	Mtc. of Docks, Harbour walls and Marine Structures		1,14,08,549	94,32,827
9	Insurance of Port Properties		6,39,46,113	6,50,21,353
10	Administration & General Expenses		2,98,35,373	6,64,65,992
11	Depreciation		5,02,47,740	7,23,20,279
	Total		**1,39,23,70,549**	**1,35,72,97,006**
III	**Railway Workings**	12		
1	Administration & General Expenses		3,92,34,561	50,61,208
2	Depreciation		63,80,223	63,80,223
	Total		**4,56,14,784**	**1,14,41,431**
IV	**Rentable Land & Buildings**	13		
1	Estate Maintenance		8,67,89,918	5,30,34,257
2	Administration & General Expenses		1,18,13,892	1,78,34,763
3	Depreciation		6,44,77,814	7,00,56,443
	Total		**16,30,81,624**	**14,09,25,463**

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की अनुसूचियां

क्र. सं	आय	अनुसूची	31 मार्च, 2025 राशि रू.	31 मार्च, 2024 राशि रू.
त	प्रबंधन व सामान्य प्रशासनिक व्यय	14		
1	प्रबंधन और सचिवीय व्यय		27,62,97,741	25,93,91,902
2	लेखा विधि और लेखा परीक्षा		11,46,12,831	12,58,23,472
3	विधिक व्यय		24,99,007	25,24,475
4	श्रमिक कल्याण व्यय		23,01,479	21,77,500
5	चिकित्सा व्यय		17,70,40,018	14,04,68,094
6	भंडारण देखरेख		1,01,24,468	76,33,634
7	दूरभाष व्यय		69,14,303	22,93,636
8	इंजीनियरिंग तथा वर्कशॉप		4,62,93,913	3,77,89,577
9	मूल्यह्रास		70,35,503	48,45,919
	कुल		**64,31,19,263**	**58,29,48,209**
	कुल प्रचालनिक व्यय		**3,10,35,54,766**	**2,92,76,09,467**
VI	**वित्त व विविध व्यय**	16		
1	पेंशन/ग्रेच्युटी में योगदान		1,41,23,23,093	1,29,76,08,944
2	अन्य विविध व्यय		2,43,30,537	3,13,20,381
3	विवाद निपटान पर दिया गया ब्याज		37,08,124	65,33,582
4	छुट्टी नकदीकरण निधि में योगदान		1,60,54,916	4,84,60,097
5	कुलाई मछली पकड़ने के बंदरगाह के लिए व्यय		52,91,222	12,17,43,634
	कुल		**1,46,17,07,892**	**1,50,56,66,638**

SCHEDULES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2025

Sl. No.	Expenditure	Schedule	31st March, 2025 Amt. Rs.	31st March, 2024 Amt. Rs.
V	**Management & General Administration Expenses**	**14**		
1	Management & Secretarial expenses		27,62,97,741	25,93,91,902
2	Accounting & Auditing		11,46,12,831	12,58,23,472
3	Legal Expenses		24,99,007	25,24,475
4	Labour Welfare Expenses		23,01,479	21,77,500
5	Medical Expenses		17,70,40,018	14,04,68,094
6	Store Keeping		1,01,24,468	76,33,634
7	Telephone Expenses		69,14,303	22,93,636
8	Engineering & Workshop		4,62,93,913	3,77,89,577
9	Depreciation		70,35,503	48,45,919
	Total		**64,31,19,263**	**58,29,48,209**
	TOTAL OPERATING EXPENDITURE		**3,10,35,54,766**	**2,92,76,09,467**
VI	**Finance & Miscellaneous Expenses**	**16**		
1	Contribution to Pension /Gratuity		1,41,23,23,093	1,29,76,08,944
2	Other Misc Expenditure		2,43,30,537	3,13,20,381
3	Interest paid on Dispute settelment		37,08,124	65,33,582
4	Contribution to Leave Encashment fund		1,60,54,916	4,84,60,097
5	Expenditure towards Kulai Fishing Harbour		52,91,222	12,17,43,634
	Total		**1,46,17,07,892**	**1,50,56,66,638**

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाते के लिए नोट्स

क्र सं.	विवरण	2024–2025 राशि रू.	2023–2024 राशि रू.
क	**निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय का अलग से खुलासा किया गया है**		
1	स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की उपभोग	1,43,53,930	2,77,92,799
2	बिजली और ईंधन	22,20,86,293	18,61,06,741
3	भवन की मरम्मत एवं नागरिक रखरखाव	20,39,15,668	12,12,41,992
4	ड्रेजिंग व्यय	36,64,05,739	51,90,62,748
5	नावों, लांचों, टगों का किराया	39,99,29,763	23,62,33,343
6	संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	27,45,90,972	23,37,59,361
7	वेतन, मजदूरी और बोनस	60,03,89,178	49,81,12,659
8	निधि में योगदान :		
	क) पीएफआरडीए	1,27,23,536	1,08,86,666
	ख)पेंशन ट्रस्ट फंड	1,35,74,35,081	1,28,67,22,278
	ग) छुट्टी नकदीकरण निधि	1,60,54,916	4,84,60,097
	घ) ग्रेच्युटी फंड	4,18,83,480	-
9	कामगार और कर्मचारी कल्याण व्यय	3,41,025	4,966
10	बीमा	6,39,66,265	6,50,41,505
11	आय पर कर को छोड़कर दरें और कर	49,57,566	1,52,94,410
12	विविध व्यय	83,06,870	26,69,036
13	निवेश से आय की राशि	1,56,09,28,741	1,34,31,24,459
14	अग्रिम पर ब्याज के रूप में अन्य आय	6,18,232	3,95,613
15	विविध आय	18,67,43,887	5,32,47,462
16	लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई/देय राशि		
	क) लेखा परीक्षकों के लिए किया गया भुगतान –सीएजी	82,70,375	1,05,40,750
	ख) कराधान/प्रबंधन सेवाओं में सलाहकार के रूप में लेखा परीक्षक को किया गया भुगतान	8,61,400	10,96,000
	ग) लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान – आंतरिक लेखा परीक्षा	8,79,000	8,79,000
ख	**न भार निर्दिष्ट करते हुए जहाजों/कार्गो को संभालने के लिए पत्तन की स्थापित और वास्तविक क्षमता**		
1	स्थापित क्षमता (मिलियन टन में)	74.00	74.00
2	संभाले गए जहाजों की संख्या	1,415	1,476
3	संभाला गया यातायात (मिलियन टन में)	46.01	45.71
ग	**पत्तन पर कर्मचारियों की संख्या का विवरण**		
1	कर्मचारियों का वर्ग – I और II (सं. में)	116	120
2	कर्मचारियों की श्रेणी – III और IV (संख्या में)	202	228
घ	**उस पर किए गए पत्तन व्यय का विवरण**		
1	कर्मचारियों की श्रेणी – I और II (रु. में)	25,81,58,012	23,39,68,493
2	कर्मचारियों की श्रेणी – III और IV (रु. में)	34,22,31,166	26,41,44,166

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY

NOTES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2025

Sl. No.	Particulars	2024-2025 Amt. Rs.	2023-2024 Amt. Rs.
A	**Expenditure incurred on the following items is disclosed seperately**		
1	Consumption of Stores and Spare parts	1,43,53,930	2,77,92,799
2	Power and fuel	22,20,86,293	18,61,06,741
3	Repairs to Building & Civil maintenance	20,39,15,668	12,12,41,992
4	Dredging Expenses	36,64,05,739	51,90,62,748
5	Hire of boats,lauches, tugs	39,99,29,763	23,62,33,343
6	Repairs & maintenance of Plant & Machinery	27,45,90,972	23,37,59,361
7	Salaries ,Wages and Bonus	60,03,89,178	49,81,12,659
8	Contribution to funds :		
	a) PFRDA	1,27,23,536	1,08,86,666
	b) Pension Trust Fund	1,35,74,35,081	1,28,67,22,278
	c) EL Encashment Fund	1,60,54,916	4,84,60,097
	d) Gratuity Fund	4,18,83,480	-
9	Workmen and Staff Welfare Expenses	3,41,025	4,966
10	Insurance	6,39,66,265	6,50,41,505
11	Rates and Taxes , excluding Taxes on Income	49,57,566	1,52,94,410
12	Miscellaneous Expenses	83,06,870	26,69,036
13	The amount of Income from Investment	1,56,09,28,741	1,34,31,24,459
14	Other Income by way of Interest on Advances	6,18,232	3,95,613
15	Miscellaneous Income	18,67,43,887	5,32,47,462
16	Amount paid/payable to Auditors		
	a) Payment made for Auditors -CAG	82,70,375	1,05,40,750
	b) Payment made to Auditor as adviser in Taxation/Management Services	8,61,400	10,96,000
	c) Payment made to Auditors - Internal Audit	8,79,000	8,79,000
B	**The Installed and Actual Capacity of the port to handle Ships/Cargo specifying the Tonnage**		
1	Installed Capacity (in Million Tonnes)	74.00	74.00
2	No. of Vessels Handled	1,415	1,476
3	Traffic Handled (in Million Tonnes)	46.01	45.71
C	**Details of Staff Strength at the Port**		
1	Class of Employees - I &II (in nos.)	116	120
2	Class of Employees - III & IV(in nos.)	202	228
D	**Details of Port Expenditure incurred thereon**		
1	Class of Employees - I &II (in Rs.)	25,81,58,012	23,39,68,493
2	Class of Employees - III & IV(in Rs.)	34,22,31,166	26,41,44,166

अनुसूची : 17
महत्वपूर्ण लेखा नीति

1. **लेखांकन का आधार:**

- पत्तन प्राधिकरण पहले से चली आ रही लागत आधारित पारंपरिक पद्धति को अपनाते हुए प्रोद्भवन आधार पर अपना लेखा बनाता है। वार्षिक लेखा वित्तीय रिपोर्ट (बिलिमोरिया रिपोर्ट) के सामान्य ढांचे के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. **माल सूची**

- माल सूची में मुख्यतः कलपुर्जे का अनुरक्षण,औजार एवं उपभोज्य वस्तुएं शामिल हैं और लागत पर मूल्यांकित भारित औसत आधार पर निर्धारित है।

3. **अवधि पूर्व मद**

- अवधि पूर्व आय या व्यय जो एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों या चूक के परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती है, वित्त और विविध आय या व्यय के तहत शामिल किया जाता है।

4. **राजस्व मान्यता**

- आय को जब कभी दी गई सेवा के अनुसार स्वीकृति दी जाती है और राशि की पुष्टि के संबंध में अर्थपूर्ण अस्थिरता न रही है,जो की गई सेवा से प्राप्त होगी।

  आय के प्रमुख शीर्ष प्रोद्भवन आधार के अंतर्गत इस प्रकार वर्गीकृत हैं

  क) कार्गो संबंधित शुल्क जिसमें मुख्य रूप से घाट शुल्क और ढुलाई प्रभार सम्मिलित है।

  ख) पोत संबंधित शुल्क जिसमें मुख्य रूप से पायलटेज, पत्तन देयराशि और बर्थ भाड़ा प्रभार सम्मिलित है।

  ग) भूमि और भवन अर्थात्, किराया, जल और बिजली हेतु संपदा संबंधित प्रभार ।

  घ) रेलवे मार्शलिंग यार्ड प्रभार ।

  ड) निवेशों पर ब्याज / लाभांश आय

- ऋण म्युचुअल फंड निवेश के मामले में आय को तुलन पत्र की तिथि पर मौजूदा निव्वल परिसंपत्ती मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज सहित अन्य सभी आय को संरक्षी और विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नकद आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5. **संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर**

- निर्माण लागत से वास्तविक लागत, आयात शुल्क सहित खरीद मूल्य, अन्य करों और इसके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत के आधार पर, ऐतिहासिक मूल्य पर बही खातों में अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख किया जाता है।
- अचल संपत्तियों की बिक्री / निपटान पर होनेवाले नुकसान को एफएमई के तहत लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है और अर्जित लाभ, यदि कोई हो,को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को कार्यशील पूंजी कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पत्तन मूल्यह्रास की स्पष्ट रेखा पद्धति का पालन कर रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों /परिपत्रों /दिशा निर्देशों में दी गई परिसंपत्तियों के आर्थिक स्थिति के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

SCHEDULE : 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting

- The Port Authority maintains its accounts on accrual basis following the historical cost convention.
- Annual Accounts is prepared as per Common framework of Financial Report (Billimoria report) which is drafted according to Accounting Standards issued by ICAI.

2. Inventories

- Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost, determined on weighted average basis.

3. Prior Period items

- Prior period income or expense which arise in the current periods as a result of errors or omission in the preparation of Financial Statements of one or more prior periods are included under Finance and Miscellaneous Income or Expenditure.

4. Revenue Recognition

- Income is recognized as and when services are rendered and no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from rendering of the service.

The major heads of income classified under accrual basis are as follows:

a) Cargo Related Charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges
b) Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, port dues and berth hire charges
c) Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water and Electricity.
d) Railway Marshalling Yard Charges
e) Interest / Dividend Income on investments

- In case of debt mutual fund investments income is recognized on the basis of Net Asset Value existing on balance sheet date.
- All other incomes including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

5. Property, Plant & Equipment

Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

- Loss on Sale/Disposal of Fixed assets is accounted for in the Profit & Loss Account under FME and profit earned if any is transferred to capital reserve.

  Fixed Assets under construction are categorized as capital work in progress.
- The Port has been following the straight-line method of depreciation. Depreciation is provided based on the economic life of assets given in the directives/circulars/guidelines issued by the Government.

- वित्तीय वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तिथि से मासिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से परिवर्तनों को अपनाया गया है।
- आईटी प्रणाली से संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन कंप्यूटर सहायक उपकरणों को क्रमशः 3वर्ष और 6 वर्ष और सर्वर के लिए 10 वर्ष में परिवर्तन किया गया।
- जहाँ कहीं सरकारी नियत जीवन मानदंड किसी निर्धारित जीवन परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध न हो तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित जीवन मानदंड के आधार पर अपनाया जाता है।

6. **विदेशी मुद्रा लेन–देन**

- कलपुर्जों और पूंजी उपकरणों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा लेन–देन को उस लेन–देन के होने के दिन प्रचलित विनिमय दर के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।
- पोत संबंधित शुल्क यूएस में दर्शाए गए हैं, लेकिन पत्तन में पोत के प्रवेश की तारीख के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित संदर्भ दर प्रयोग करके रुपए में एकत्र किए जाते हैं।

7. **सरकारसे अनुदान**

- प्राप्त पूंजीगत अनुदानों को शेयरहोल्डर की निधि के अंश के रूप में माना जाता है और इसे पूंजी और सामान्य आरक्षित के अधीन दर्शाया जाता है।
- राजस्व से संबंधित विशिष्ट अनुदान अलग–अलग संबंधित शीर्ष के नीचे दर्शाए जाते हैं।

8. **निवेश**

- निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज संबंधित निधियों में सीधे जमा कर दिया जाता है। अन्य निवेशों पर ब्याज लाभ व हानि खाते में जमा किया जाता है।

9. **सेवानिवृत्ति हितलाभ**

बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर, अधिवर्षिता निधि में संभव सीमा तक अंशदान दिया जाता है। पेंशन निधि के संबंध में नियमित और परिवर्तित पेंशन का भुगतान सीधे पत्तन से किया जाता है और पत्तन लाभ व हानि खाता में शामिल किया जाता है।

बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर, उपदान/ छुट्टी नकदीकरणन्यास /निधि में योगदान दिया जाता है। न्यास निधि से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर भुगतान किया जाता है।

नई पेंशन स्कीम के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में पत्तन न्यास और कर्मचारियों दोनों द्वारा अंशदान दिया जाता है और उसी को निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाता है।

10. **उधारी लागत**

- उधारी लागत जो सीधे अधिग्रहण के लिएजिम्मेदार होती है, परिसंपत्तियों के निर्माण को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जिस पर परिसंपत्ति का कमीशन होता है। अन्य उधारी लागत से राजस्व वसूला जाता है।

11. **पट्टेके लिए लेखा विधि**

- लंबी अवधि पट्टे से भूमि के पट्टे पर प्राप्त अपफ्रंट प्रीमियम को लीज अवधि के दौरान संशोधित किया गया है और केवल अनुपातिक राशि को ही वर्ष में आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

- Depreciation is provided on monthly basis from the date of capitalization of asset during the financial year. Changes have been adopted from FY 2019-20.
- With regard to IT system related assets Useful life of assets was changed to 3 years and 6 years respectively for computer accessories and servers from 10 years.
- Wherever Govt. fixed life norms is not available for any particular asset life is adopted based on the life norm prescribed by the concerned Department.

6. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.

- Vessel Related Charges are denominated in US$, but collected in Rupees using the reference rate notified by the Reserve Bank of India as on date of entry of vessel into Port.

7. Grant from Government

- Capital grants received are treated as a part of shareholders' fund and is reflected under "Capital & General Reserves"
- Specific grants related to revenue are shown separately under the respective head.

8. Investments

- Investments are valued at cost.
- The interest on investments pertaining to the funds is credited directly to the respective funds. Interest on other investments is credited to the Profit & Loss account.

9. Retirement Benefit

- Based on the Actuarial valuation, contributions are made to Superannuation Fund to the extent possible. With respect to pension fund regular & commuted pension are directly paid from port & accounted in port profit & loss account.
- Based on the Actuarial valuation, contribution is made to Gratuity/Leave Encashment Trust/ Fund. Payment is made to the employees from the Trust fund on retirement/death.
- In respect of employees covered under the New Pension Scheme contribution is made by both the Port Trust and the employees and the same is deposited in the specified account.

10. Borrowing Costs

- Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Other borrowing costs are charged to revenue.

11. Accounting for Leases

- The upfront premium received on lease of land from long term lease has been amortised over the term of lease period and proportionate amount only has been accounted as income in the year.
- Assets leased under Financial Lease during the financial year are capitalized and depreciated accordingly. Lease liability is created for the total value of the leased asset and the monthly installment paid shall be reduced from the lease liability.

- वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय लीज के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को तदनुसार पंजीकृत और मूल्यहास किया जाता है। लीज देनदारी लीज परिसंपत्ति के कुल मूल्य के लिए बनाई गई है और भुगतान की गई मासिक किस्त लीज देयता से कम हो जाएगी।

12. **आय पर कर हेतु लेखानीति**

- परिसंपत्तियों के मूल्यहास के संबंध मेंसमय के अंतर के लिए आस्थगित कर देयता / परिसंपत्ति को खातों में शामिल किया गया है।

13. **फुटकर देनदारियाँ**

- किसी भी ऋण को किसी भी समय सीमा पर ध्यान दिए बिना अशोध्य नहींमाना जाता है।
- विवादित दावों को विविध देनदार के अधीन नहीं रखा गया है, लेकिन केवल नोट्स ऑन अकाउंट्स में प्रकट किया गया है। (एएस- 9 पर क्र.सं.5 भी देखें।)
- अपरिवर्तनीय देनदार /दावों को अशोध्य ऋण के रूप में माना जाता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर भट्टे खाते में डाला जाता है।

14. **सामान्य बीमा निधि**

- पत्तन संपत्तियों को बीमा हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार, पत्तन ने पत्तन परिसंपत्तियों हेतु पत्तन पैकेज पॉलिसी के अधीन व्यापक बीमा जोखिम कवर करने हेतु व्यय किया है।
- बीमा प्रीमियम प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामान्य बीमा निधि, जारी है। सामान्य भविष्य निधि हेतु अंशदान निवल अधिशेष से विनियोजन के रूप में किया जाता है।

15. **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि**

- कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाया गया है और निधि हेतु आवश्यक अंशदान निवल अधिशेष से विनियोजन के माध्यम से किया जाता है।

12. Accounting for Taxes on Income

- The deferred tax liability/asset for timing difference in respect of depreciation of assets have been incorporated in the accounts.

13. Sundry Debtors:

- No debt is considered as bad irrespective of any time limit.
- Disputed claims are not accounted under Sundry Debtors but only disclosed in the Notes on Accounts. (See also Sl.No. 5 on AS-9)
- Irrecoverable debtors/claims are treated as Bad Debts and written-off on approval of the competent authority.

14. General Insurance Fund:

- As per the Guidelines issued by the Government for insurance of Port properties, the port has gone for a comprehensive Insurance Risk cover under Port Package Policy for the Port assets.
- General Insurance Fund is continued keeping in mind the need to service the Insurance Premium. Contribution to the General Insurance Fund is made by way of an appropriation from Net Surplus.

15. Corporate Social Responsibility Fund:

- Corporate Social Responsibility Fund is created as per Government Guidelines and necessary contribution to the fund is made by way of appropriation from Net Surplus.

अनुसूची:18

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलन पत्र के अंश पर टिप्पणी और 31 मार्च 2025 को समाप्त लाभ और हानि लेखा

1) कर हेतु प्रावधान:–

(क) वर्तमान कर: निर्धारण वर्ष 2023–24 तक का आयकर आकलन पूरा हो चुका है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए आयकर के रूप में 223.82 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है और पत्तन ने अग्रिम कर के रूप में 247.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(ख) आस्थगित कर देयताएं: मूल्यह्रास और वीआरएस भुगतान के कारण सामयिक अंतराल को आस्थगित कर देयताओं के रूप में दिया गया है। तदनुसार, वर्ष 2024–25 हेतु लेखों में रु. 2.07 करोड़ की राशि प्रदान की गई। पत्तन की आस्थगित कर देयताएँ इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.3.2024 के अनुसार	चालू वर्ष के प्रभार	31.3.2025 के अनुसार
मूल्यह्रास और वीआरएस भुगतान के समय के अंतर पर आस्थगित कर देयता	161.82	2.07	163.89

2) सेवानिवृत्ति लाभ: –

पेंशन देयता एवं अंशदान: 31.03.2025 तक पेंशन निधि के कारण बीमांकिक देयता 1,868.03 करोड़ रुपये है। इस निधि के संबंध में बीमांकिक देयता पूरी तरह से प्रदान की गई है।

उपदान देयता: यथा 31.03.2025 तक उपदान देयता की बीमांकिक देयता 38.00 करोड़ रुपये है। इस निधि के संबंध में बीमांकिक देयता पूरी तरह से वित्त पोषित है।

अवकाश देयता: यथा 31.03.2025 तक अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन 18.00 करोड़ रुपये है। इस निधि के संबंध में बीमांकिक देयता पूरी तरह से प्रदान की गई है।

3) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:–

पत्र संख्या पीडी–12019/1/2020–पीडी–तख–(समन्वय) द्वारा जारी संशोधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएसआर फंड में योगदान वर्ष 2024–25 के दौरान 5.36 करोड़ रुपये है।

4) उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य :

31 मार्च 2025 तक पत्तन के उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	निवेश विवरण	बाजार मूल्य (रु.में)
1.	बैंक शाश्वत बांड	शून्य
2.	कर्ज़ म्यूच्युअल फंड्स	2,77,81,56,583.00
3.	डेजिंग कॉर्पोरेशन में शेयर (डीसीआई)	1,55,11,125.00
	कुल	**2,79,36,67,708.00**

SCHEDULE : 18

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2025 AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT, FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025.

1) PROVISION FOR TAX : -

(a) **Current Tax :** Income Tax Assessment up to AY 2023-24 has been completed. An amount of Rs. 223.82 Cr has been provided towards Income Tax for FY 2024-25 and the Port has remitted an amount of Rs. 247.00 Cr. as Advance Tax.

(b) **Deferred Tax :** The timing difference arising on account of Depreciation and VRS payment is provided as Deferred Tax. Accordingly, an amount of Rs.2.07 Crores has been provided in the Accounts for the year 2024-25. The Deferred Tax Liability of the Port is as under:

(Rs. In Crores)

Particulars	As on 31.03.2024	Current year charge	As on 31.03.2025
Deferred Tax Liability on timing difference of Depreciation and VRS Payment	161.82	2.07	163.89

2) RETIREMENT BENEFITS : -

PENSION LIABILITY & CONTRIBUTION: The actuarial liability on account of Pension Fund as on 31.03.2025 is Rs. 1,868.03 Crores. The actuarial liability is fully provided in respect of this fund.

GRATUITY LIABILITY: The actuarial liability of Gratuity liability is Rs. 38.00 Crores as on 31.03.2025. The actuarial liability is fully provided in respect of this fund.

LEAVE LIABILITY: The actuarial valuation of Leave Encashment is Rs.18.00 Crores as on 31.03.2025. The actuarial liability is fully provided in respect of this fund.

3) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: -

In pursuance to the revised Govt. Guidelines issued vide Letter No. PD-12019/1/2020-PD-VI-(Co-Ord), contribution to the CSR fund which was made in accordance with the Guidelines amounts to Rs.5.36 Crores during the year 2024-25.

4) MARKET VALUE OF QUOTED INVESTMENTS: -

The market value of Quoted Investments of the Port as on 31st March 2025 are provided below: -

Sl. No.	Investment Particulars	Market Value (In Rs.)
1.	Bank Perpetual Bonds	Nil
2.	Debt Mutual Funds	2,77,81,56,583.00
3.	Shares in Dredging Corporation of India (DCI)	1,55,11,125.00
	Total	**2,79,36,67,708.00**

आकस्मिक देयताएँ :

लेखा में केवल न्यायालय प्रकरण प्रदान किए जाते है जिन्हें पत्तन द्वारा तय और स्वीकार किया जाता है। अन्य मामलों के वित्तीय निहितार्थ संज्ञान में नहीं है; अतः बही खाते में कोई प्रावधान नहीं बनाए गए।

i) **के.आई.ओ.सी.एल. – घाटशुल्क का विवरण: –**

बर्थ सं.8 के संबंध में, के.आई.ओ.सी.एल. लौह अयस्क छर्रों के निर्यात के लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन और लौह अयस्क चूर्ण के आयात के लिए 42.15 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से घाटशुल्क का भुगतान कर रहा है। हालाँकि, वर्ष 2024–25 के दौरान निर्यात और आयात दोनों कार्गो के लिए घाटशुल्क दर अनंतिम रूप से 124.07 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है, जो बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है।

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2023–24 के लिए निर्धारित अनंतिम घाटशुल्क दर 61.95 रुपये प्रति मीट्रिक टन को 64.89 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अंतिम रूप दिया गया है और इसकी सूचना मेसर्स के.आई.ओ.सी.एल. को दे दी गई है। हालाँकि, मेसर्स के.आई.ओ.सी.एल. ने अंतिम घाटशुल्क दर पर सहमति नहीं जताई है और उसके बाद मेसर्स के.आई.ओ.सी.एल. ने एनएमपीए से अंतिम घाटशुल्क गणना के लिए मानक एसओआर (अर्थात, लौह अयस्क चूर्ण के आयात के लिए 42.15 रुपये और लौह अयस्क छर्रों के निर्यात के लिए 44.63 रुपये) के अनुप्रयोग पर विचार करने का अनुरोध किया है। उनका अनुरोध विचाराधीन है।

ii) **जेएसडब्ल्यू मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड – कंटेनर हैंडलिंग पर रॉयल्टी का विवरण: –**

जेएसडब्ल्यू–एमसीटीपीएल के लिए एस.ओ.आर. को टैरिफ आदेश के अनुसार अनुक्रमित किया गया था और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एनएमपीए को देय रॉयल्टी का अनुक्रमित मूल्य 1130.143 रुपये प्रति टीईयू है, जबकि भुगतान 1101.93 रुपये प्रति टीईयू पर प्राप्त हुआ था और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अनुक्रमण पर विवाद था। मामला सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है। बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 1130.143 रुपये प्रति टीईयू की दर से आय दर्ज की है और इस संबंध में अंतर आय 52,04,649.60 रुपये है। इसके अलावा, जेएसडब्ल्यू एमसीटीपीएल विरोध के तहत रॉयल्टी का भुगतान कर रहा है और उसने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं: –

क) टैरिफ दिशानिर्देश 2021 के अनुसार एफईयू और ओडीसी कंटेनर पर रॉयल्टी का भुगतान न करना।

ख) तटीय और अन्य कंटेनरों पर देय रॉयल्टी रियायतग्राही द्वारा लगाए गए टैरिफ के अनुपात में होगी और विवाद को सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) को भेजने का अनुरोध किया गया। संकल्प सं.143/2022–23 के तहत मंडल की स्वीकृति से, मामला सीएससी को भेज दिया गया। हालाँकि, पत्तन ने सभी प्रकार के कंटेनरों के लिए रियायत समझौते में निर्दिष्ट रॉयल्टी दर के अनुसार आय का लेखा–जोखा रखा है।

iii) यूनिवर्सल स्टोरेज टैंक टर्मिनल लिमिटेड (यूएसटीटीएल) ने बैंक गारंटी के नकदीकरण और अनुबंध समाप्ति से संबंधित विवाद उठाया है। यह मामला मंगलूर जिला न्यायालय में केस सं. 514/2020 के तहत लंबित है। मामला सीएससी को भेजा गया है।

iv) मेसर्स एंडरसन मरीन प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल), गोवा और एनएमपीए के बीच भविष्य निधि दावों से संबंधित मामले में, न्यायालय ने भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिए थे जिनका पालन नहीं किया गया और राशि पत्तन को वापस नहीं की गई। पत्तन ने गोवा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी एकपक्षीय वसूली आदेश के विरुद्ध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है (4,11,811 + ब्याज)।

v) सेवा के दौरान गेट गिरने से मृत सीआईएसएफ कर्मी श्री ईश्वर नाइक की पत्नी श्रीमती यशोदा नाइक ने श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत पत्तन के विरुद्ध 23,69,300/– रुपये का दावा प्रस्तुत किया है। यह दावा न्यायालय में लंबित है।

vi) जॉन क्लिफोर्ड रस्किन्हा, पूर्व इलेक्ट्रीशियन, समुद्री विभाग की कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती हिल्डा रस्किन्हा ने कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत पत्तन के खिलाफ 27,63,352/– रुपये की राशि का दावा शुरू किया है। उपरोक्त कामगार क्षतिपूर्ति मामले के लिए न्यायालय में 4,02,105/– रुपये की राशि जमा की गई है, जो न्यायालय के समक्ष लंबित है।

5) CONTINGENT LIABILITIES: -

Only Court cases which are decided and accepted by the Port are provided for in the Accounts. Financial implication of other cases is not known and hence no provisions were made in the books.

i) K.I.O.C.L. – Details of Wharfage: -

In respect of Berth No. 8, the K.I.O.C.L. is paying wharfage rate @Rs 60 per M.T. for Export of Iron Ore Pellets and Rs. 42.15 per M.T. for Import of Iron Ore Fines. However, the wharfage rate has been provisionally fixed at Rs. 124.07 per M.T. for both the Export and Import Cargo during for the year 2024-25, subject to approval by the Board.

Further, it may be noted that the provisional wharfage rate @ Rs 61.95 per MT fixed for the year 2023-24 has been finalized @ Rs 64.89 per MT and the same has been communicated to M/s K.I.O.C.L. However, M/s K.I.O.C.L. has not agreed the final wharfage rate and thereafter M/s K.I.O.C.L. has requested NMPA to consider application of standard SOR for final wharfage calculation (i.e., Rs. 42.15 for Import of Iron Ore Fines and Rs. 44.63 for Export of Iron Ore Pellets). Their request is under consideration.

ii) JSW Mangalore Container Terminal Pvt Limited - details of royalty on container handling: -

For J.S.W.-M.C.T.P.L. S.O.R. was indexed as per Tariff order and the indexed value of Royalty payable to NMPA for the FY 2024-25 is Rs. 1130.143 per TEUs, whereas the payment was received at Rs. 1101.93 per TEUs and was disputing the indexation for FY 2019-20. The matter has been referred to Conciliation and Settlement Committee (CSC). Port has accounted income @ Rs. 1130.143 per TEUs and the differential income in this regard is Rs. 52,04,649.60 for FY 2024-25. Further, JSW MCTPL is paying Royalty Under-Protest and have raised the following issues: -

a) Not to pay royalty on FEU and ODC container as per Tariff guidelines 2021.

b) Royalty payable on coastal and other containers to be in proportion to the Tariff charged by the concessionaire and requested to refer the dispute to Conciliation and Settlement Committee (CSC). With the approval of Board vide Resolution No. 143/2022-23, the matter was referred to CSC. However, the Port has accounted income as per the Royalty rate specified in the concession agreement, for all types of containers.

iii) Universal Storage Tank Terminal Ltd. (USTTL) has raised the dispute relating to encashment of Bank Guarantee and termination of Contract. The matter is pending in the District Court of Mangalore, Vide Case No.514/2020. The matter is referred to CSC.

iv) In respect of case relating to P.F claims between M/s Anderson Marine Pvt Ltd. (AMPL), Goa, and NMPA, the Court has given directions to P.F Commissioner which was not adhered to and the amount was not refunded to the Port. The Port has filed Writ Petition in the Hon'ble High Court of Karnataka against unilateral Recovery order issued by the Regional P.F. Commissioner, Goa. The matter is pending for hearing (Rs. 4,11,811 +interest).

v) Mrs. Yashoda Naik wife of Mr. Ishwar Naik, CISF personnel who died due to fall of gate during service, initiated claim against the Port for Rs.23,69,300/- under The Workmen's Compensation Act,1923. The same is pending before Court.

vi) Mrs. Hilda Rasquinha legal heir of John Clifford Rasquinha, ex–Electrician, Marine Department has initiated claim against the Port for an amount of Rs. 27,63,352/- under The Workmen's Compensation Act, 1923. An amount of Rs. 4,02,105/- is deposited in the Court towards above Workmen's Compensation Case, which is pending before the Court.

vii) पत्तन ने मेसर्स सीसीसी बिल्डर्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2.26 करोड़ रुपये का निश्चित हर्जाना लगाया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्णय पारित कर दिया है और मध्यस्थ निर्णय के अनुसरण में, मेसर्स सीसीसी बिल्डर्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पत्तन से 81,27,811/– रुपये का दावा किया है। पत्तन ने मध्यस्थ निर्णय को चुनौती दी है और न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ निर्णय राशि का 20% जमा करने के अधीन स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

viii) श्रीमती शशिकला द्वारा एनएमपीटी के खिलाफ एमएफए सं. 8879/2015 दायर की गई जिसमें कामगार मुआवजे का दावा किया गया और माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को अनुमति दे दी और एनएमपीटी को अंतिम निपटान तक 91,000 रुपये की राशि और 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो लगभग 2.50 लाख रुपये तक हो सकता है।

ix) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एम.के. पवनक्षी और पांच अन्य तथा श्रीमती गोपी और 30 अन्य द्वारा एनएमपीटी के खिलाफ क्रमशः दायर याचिका संख्या 45349–45354/2012 और 45318–45348/2012 में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त याचिकाकर्ताओं की पारिवारिक पेंशन पर देय महंगाई राहत (डी.आर.) का भुगतान न करने के लिए, विवादित संचार को रद्द कर दिया है और शिपिंग मंत्रालय को लाभ से इनकार करने के निर्णय को सुधारने के लिए एक परमादेश जारी किया है। इस स्तर पर महंगाई राहत की कुल देयता का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद, पत्तन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देते हुए डब्ल्यूए सं. 51/2025 और डब्ल्यूए सं. 49/2025 दायर की हैं, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। भारत सरकार ने भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए डब्ल्यूए सं. 156/2025 और एक अन्य डब्ल्यूए सं. 2025 (केस सं. अभी तक ज्ञात नहीं है) दायर की है।

x) दक्षिण रेलवे विभाग ने पत्तन से 2019–20 से 2024–25 की अवधि के लिए 1.54 करोड़ रुपये का बकाया स्टाफ चार्ज बिल जारी किया है। पत्तन द्वारा इस पर विवाद किया गया है और इसलिए आज तक इसका भुगतान नहीं किया गया है।

xi) मेडिकल स्टोर के लिए पुस्तकों में 70,72,878.72 रुपये की राशि दर्ज है, जिसके भौतिक स्टॉक की पुष्टि मेडिकल विभाग द्वारा अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

6) आयकर, सेवा कर, जीएसटी से संबंधित अदालत मामलों की स्थिति:–

- **आयकर**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20) के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में एनएमपीए को आकलन वर्ष 2002–03 (वित्त वर्ष 2001–02) तक आयकर देयता से छूट दी गई थी। वित्त अधिनियम, 2002 में संशोधन के साथ, स्थानीय प्राधिकरण को आकलन वर्ष 2003–04 (वित्त वर्ष 2002–03) से छूट वापस ले ली गई थी। इसलिए, एनएमपीए आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। एनएमपीए ने आईटी आकलन से छूट का दावा करने के लिए एक धर्मार्थ संस्थान के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया। 27.07.2009 के आदेश के तहत आकलन वर्ष 2003–04 से पूर्वव्यापी रूप से धारा 12एए के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। परिणामस्वरूप, आकलन वर्ष 2003–04 से 2008–09 के लिए किए गए आयकर भुगतान आयकर विभाग द्वारा वापस कर दिए गए।

वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 2(15) में संशोधन के कारण, पत्तन, निर्धारण वर्ष 2009–10 से आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं थे। इसलिए, एनएमपीए को वित्तीय वर्ष 2008–09 से आयकरदाता का दर्जा दिया गया। निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2024–25 तक के लिए आयकर और कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत विवरण इस प्रकार है: –

vii) The Port has levied liquidated damages to M/s. CCC Builders Merchants Private Limited of Rs. 2.26 Crores. The Arbitral Tribunal has passed the award and in pursuance of the Arbitral Award, M/s. CCC Builders Merchants Pvt. Ltd. have claimed Rs.81,27,811/- from the port. Port has challenged the Arbitral Award and obtained stay order subject to deposit of 20% of the Arbitral Award amount before the Court.

viii) MFA No. 8879/2015 filed by Smt. Shashikala against NMPT claiming Workmen's Compensation and Hon'ble High Court has allowed the Appeal and directed NMPT to pay an amount of Rs. 91,000/- plus interest @ 18% P.A. until final settlement which may come up to Rs. 2.50 Lakhs approximately.

ix) The Hon'ble High Court of Karnataka in WP. No. 45349-45354/2012 and 45318-45348/2012 filed by M.K Pavanakshi and five others and Smt. Gopi and 30 others against NMPT respectively, for non-payment of Dearness Relief (D.R) payable on the Family Pension of Petitioners who were appointed on compassionate grounds has quashed the impugned communications, and issued a mandamus to the Ministry of Shipping to rectify the denial of benefits. The total liability on Dearness Relief cannot be ascertained at this stage. Subsequently, the Port has filed WA No.51/2025 and WA No. 49/2025 challenging the said order before the High Court of Karnataka which are currently pending before the Hon'ble High Court. The Government of India has also filed WA No. 156/2025 and another WA No.2025(case number not yet known) challenging the order dated 23.04.2024 before the Hon'ble High Court of Karnataka.

x) The Department of Southern Railways have raised an outstanding staff charge bill of Rs.1.54Cr. due from the Port, pertaining to the period 2019-20 to 2024-25. The same is disputed by the Port and hence not paid till date.

xi) There are items recorded in the Books towards Medical Stores amounting to Rs.70,72,878.72 for which confirmation towards physical stock is yet to be provided by Medical Dept.

6) STATUS OF COURT CASES IN R/O INCOME TAX, SERVICE TAX, G.S.T.: -

- **Income Tax**

NMPA, as a Local Authority u/s 10(20) of the Income Tax Act, 1961 was exempted from the income tax liability up to Assessment Year (AY) 2002-03 (FY 2001-02). With the amendments in Finance Act, 2002, exemption to "Local Authority" was withdrawn from AY 2003-04 (FY 2002-03) onwards. Hence, NMPA became liable to pay Income Tax. NMPA, applied for registration u/s 12A of the Income Tax Act as a charitable institution for claiming exemption from IT Assessment. A registration certificate u/s 12AA was obtained vide order dated 27.07.2009 retrospectively from AY 2003-04 onwards. Consequently, income tax payments made for AYs 2003-04 to 2008-09 were refunded by the Income tax department.

Due to Amendment to Section 2(15) in the Finance Act, 2008, Port was not eligible to claim exemption under section 11 of the Income Tax Act from AY 2009-10 onwards. Hence, NMPA was brought into income tax payee status with effect from FY 2008-09. The comprehensive detail related to income tax and present status of assessments for the AYs 2009-10 to 2024-25 are as follows: -

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण (करोड़ रुपये में)</th><th>मूल्यांकन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2008–09</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2009–10</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>50.20</td></tr>
<tr><td>बहीखातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>50.14</td></tr>
<tr><td>दायर आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>49.32</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>0.88</td></tr>
</table>
</td><td>
क) मूल रिटर्न सितंबर 2009 में दाखिल किया गया था, जिसमें 158.84 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 0.88 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) दिसंबर 2011 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 185.66 करोड़ रुपये और उस पर देय शेष कर 10.99 करोड़ रुपये आंका गया।
ग) उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, जनवरी 2012 में आयकर आयुक्त (अपील), मैसूर के समक्ष अपील दायर की गई। आयकर आयुक्त (ए) ने फरवरी 2013 में राजस्व के पक्ष में अपना आदेश पारित किया।
घ) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए ने फरवरी 2015 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), बेंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की। आईटीएटी ने नवंबर 2015 में अपना आदेश पारित करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मुद्दों को कर निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेज दिया।
ङ) आईटीएटी द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में अपने आदेश के माध्यम से मामले को कर निर्धारण अधिकारी की फाइल में वापस भेज दिया और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, आयकर निर्धारण अधिकारी (सीआईटी) के आदेश और की गई अस्वीकृतियों से संबंधित आयकर निर्धारण अधिकारी (आईटीएटी) के आदेश को रद्द कर दिया।
च) कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2023 में विभिन्न प्रस्तुतियाँ आमंत्रित कीं और जनवरी 2024 में कर योग्य आय 185.66 करोड़ रुपये और उस पर देय शेष कर 0.355 करोड़ रुपये निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया।
छ) निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा सीआईटी(ए) के समक्ष मार्च 2024 में एक अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) द्वारा दिसंबर 2024 में डीआईएन आईटीबीए/ एनएफएसी/ एस/ 250/ 2024–25/ 1071630685(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत मानते हुए आदेश पारित किया गया।
ज) सीआईटी(ए) द्वारा की गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए ने आईटीएटी के समक्ष मार्च 2025 में एक और अपील दायर की है और कार्यवाही चल रही है।
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
<table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2009–10</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2010–11</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>54.29</td></tr>
<tr><td>बहीखातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>44.87</td></tr>
</table>
</td><td>
क) मूल रिटर्न अक्टूबर 2010 में दाखिल किया गया था, जिसमें 162.06 करोड़ रुपये की कर योग्य आय के साथ 4.21 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) मार्च 2016 में जांच मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने अस्वीकृति की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 164.15 करोड़ रुपये निर्धारित की गई।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars (Rs. In Cr.)</th><th>Status of Assessment</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><td>Financial Year</td><td>2008-09</td></tr>
<tr><td>Assessment Year</td><td>2009-10</td></tr>
<tr><td>Advance tax paid and TDS Credit</td><td>50.20</td></tr>
<tr><td>Tax provision as per books</td><td>50.14</td></tr>
<tr><td>Tax Liability as per ITR filed</td><td>49.32</td></tr>
<tr><td>Refund claimed as per ITR</td><td>0.88</td></tr>
</table>
</td><td>a) The original return was filed in September 2009with taxable income of Rs. 158.84 Cr. claiming a refund of Rs. 0.88 Cr.
b) After scrutiny assessment in December 2011, assessing officer computed disallowances and hence the taxable income was assessed as Rs. 185.66 Cr. and balance tax payable thereon as Rs. 10.99 Cr.
c) Aggrieved by the above order, Appeal was filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals), Mysore in January 2012. The CIT(A) passed its order in February 2013 in favour of the Revenue.
d) Aggrieved by the order of the CIT(A), an appeal was filed by NMPA before the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Bengaluru in February 2015. The ITAT passed its order in November 2015 partly allowing the appeal and remanding back the issues to Assessing Officer.
e) A further appeal in the High Court was filed against the disallowances upheld by the ITAT. The High Court vide its order in October 2022 remitted the matter to the file of the Assessing officer and set aside the assessment order passed by the AO, the order of the CIT(A) and the order of the ITAT pertaining to the disallowances made.
f) The AO called for various submissions in the year 2023 and passed the order in January 2024 assessing the taxable income as Rs. 185.66 Cr. and balance tax payable thereon as Rs. 0.355 Cr.
g) Aggrieved by the above order of the AO, an appeal was filed by NMPA before the CIT(A) in March 2024. The order was passed by the CIT(A) in December 2024 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/ 1071630685(1) considering the appeal as partly allowed.
h) For the disallowances made by the CIT(A), NMPA filed further appeal before the ITAT has been filed in March 2025 and the proceedings are underway.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
<table>
<tr><td>Financial Year</td><td>2009-10</td></tr>
<tr><td>Assessment Year</td><td>2010-11</td></tr>
<tr><td>Advance tax paid and TDS Credit</td><td>54.29</td></tr>
<tr><td>Tax provision as per books</td><td>44.87</td></tr>
<tr><td>Tax Liability as per ITR filed</td><td>50.08</td></tr>
<tr><td>Refund claimed as per ITR</td><td>4.21</td></tr>
</table>
</td><td>a) The original return was filed in October 2010 with taxable income as Rs. 162.06 Cr. claiming a refund of Rs. 4.21 Cr.
b) After scrutiny assessment in March 2016, assessing officer computed disallowances and hence the taxable income was assessed as Rs.164.15 Cr.
c) Aggrieved by the above order, an appeal by NMPA before the CIT(A) Mangalore was filed in June 2016. The CIT(A) passed its order in August 2016 in favour of the Port.</td></tr>
</table>

	दायर आईटीआर के अनुसार कर देयता: 50.08 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 4.21	ग) उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा सीआईटी (ए) मंगलूर के समक्ष जून 2016 में अपील दायर की गई। सीआईटी (ए) ने अगस्त 2016 में पत्तन के पक्ष में अपना आदेश पारित किया।
3	वित्तीय वर्ष: 2010–11 मूल्यांकन वर्ष: 2011–12 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 53.16 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 37.64 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 36.00 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 17.16	क) संशोधित रिटर्न मार्च 2013 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 116.51 करोड़ रुपये थी और 17.16 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया गया था। ख) रिटर्न संसाधित किया गया और रिटर्न के अनुसार रिफंड विधिवत प्राप्त हुआ।
4	वित्तीय वर्ष: 2011–12 मूल्यांकन वर्ष: 2012–13 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 50.14 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 43.49 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 41.14 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 9.00	क) संशोधित रिटर्न सितंबर 2012 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 133.13 करोड़ रुपये थी और 9.00 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था। ख) दिसंबर 2014 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 208.86 करोड़ रुपये निर्धारित आंकी गई। ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए ने जनवरी 2015 में सीआईटी (ए) मंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की। सीआईटी(ए) ने अगस्त 2023 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/1055031252(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत मानते हुए अपना आदेश पारित किया। घ) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए ने आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की। आईटीएटी ने दिसंबर 2023 में पत्तन के पक्ष में अपील पर निर्णय देते हुए अपना आदेश पारित किया। ङ) आईटीएटी बेंगलुरु के आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश अप्रैल 2024 में एसीआईटी, मंगलुरु द्वारा 2.06 करोड़ रुपये के रूप में देय शेष धनवापसी का आकलन करते हुए पारित किया गया। च) उपर्युक्त आदेश में अभिलेखों से स्पष्ट त्रुटियाँ पाई गईं, इसलिए फरवरी 2025 में डीसीआईटी, मंगलुरु द्वारा एक नया आदेश पारित किया गया, जिसमें देय शेष राशि 1.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। छ) मार्च 2025 में धारा 271(1)(सी) के तहत 24.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अप्रैल 2025 में सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की गई है।

3	Financial Year: 2010-11 Assessment Year: 2011-12 Advance tax paid and TDS Credit: 53.16 Tax provision as per books: 37.64 Tax Liability as per ITR filed: 36.00 Refund claimed as per ITR: 17.16	a) The revised return was filed in March 2013 with taxable income as Rs. 116.51 Cr. claiming a refund of Rs. 17.16 Cr. b) The return was processed and refund duly received as per the return.
4	Financial Year: 2011-12 Assessment Year: 2012-13 Advance tax paid and TDS Credit: 50.14 Tax provision as per books: 43.49 Tax Liability as per ITR filed: 41.14 Refund claimed as per ITR: 9.00	a) The revised return was filed in September 2012 with taxable income as Rs. 133.13 Cr. claiming a refund of Rs. 9.00 Cr. b) After scrutiny assessment in December 2014, Assessing officer computed disallowances and hence the taxable income was assessed as Rs. 208.86 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in January 2015. The CIT(A) passed its order in August 2023 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2023-24/1055031252(1) treating the appeal as partly allowed. d) For the disallowances upheld by the CIT(A), NMPA filed an appeal before the ITAT, Bengaluru. The ITAT passed its order in December 2023 deciding the appeal in the favour of the Port. e) Order giving effect to the order of the ITAT Bengaluru was passed in April 2024 ACIT, Mangaluru assessing balance refund payable as Rs. 2.06 Cr. f) Mistake apparent from record were observed on above order and hence a fresh order giving effect was passed by the DCIT, Mangaluru in February 2025 assessing the balance refund payable as Rs. 1.53 Cr. g) A notice was issued u/s 271(1)(c) was issued in March 2025 imposing a penalty of Rs. 24.21 Cr. An appeal before the CIT(A) has been filed against this order in April 2025.
5	Financial Year: 2012-13 Assessment Year: 2013-14 Advance tax paid and TDS Credit: 65.19 Tax provision as per books: 59.51 Tax Liability as per ITR filed: 58.67 Refund claimed as per ITR: 6.52	a) The revised return was filed in September 2013 with taxable income as Rs. 189.87 Cr. claiming a refund of Rs. 6.52 Cr. After scrutiny assessment in March 2016, assessing officer computed disallowances and hence the taxable income was assessed as Rs. 194.14 Cr. and balance tax payable of Rs. 2.18 Cr. b) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A), Mangaluru was filed by NMPA in June 2016. The

5	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2012–13</td></tr><tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2013–14</td></tr><tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>65.19</td></tr><tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>59.51</td></tr><tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>58.67</td></tr><tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>6.52</td></tr></table>	क) संशोधित रिटर्न सितंबर 2013 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 189.87 करोड़ रुपये थी और 6.52 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था। मार्च 2016 में जांच के बाद, कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 194.14 करोड़ रुपये और देय शेष कर 2.18 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा जून 2016 में सीआईटी (ए), मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी (ए) ने अगस्त 2023 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/ 1055161443 (1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया। ग) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए द्वारा आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2023 में बंदरगाह के पक्ष में अपील का निर्णय करते हुए अपना आदेश पारित किया। घ) आईटीएटी, बेंगलुरु के आदेश को प्रभावी करते हुए, अप्रैल 2024 में एसीआईटी, मंगलुरु द्वारा 1.84 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया। ङ) अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2025 में डीसीआईटी, मंगलुरु द्वारा 1.68 करोड़ रुपये की धन वापसी का आदेश पारित किया गया। च) मार्च 2025 में धारा 271(1)(सी) के तहत 0.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अप्रैल 2025 में सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की गई है।
6	<table><tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2013–14</td></tr><tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2014–15</td></tr><tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>58.00</td></tr><tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>55.34</td></tr><tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>58.00</td></tr><tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>0.00</td></tr></table>	क) संशोधित रिटर्न सितंबर 2014 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 169.75 करोड़ रुपये थी। ख) अक्टूबर 2016 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार देय शेष कर 5.79 करोड़ रुपये आकलित किया गया। ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए ने नवंबर 2016 में सीआईटी(ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी(ए) ने अगस्त 2023 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/ 2023-24/ 1055164148(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया। घ) सीआईटी(ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए ने आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की। आईटीएटी ने दिसंबर 2023 में पत्तन के पक्ष में अपील का फैसला करते हुए अपना आदेश पारित किया। ङ) आईटीएटी, बेंगलुरु के आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश अप्रैल 2024 में एसीआईटी, मंगलुरु द्वारा पारित किया गया, जिसमें 8.41 करोड़ रुपये की शेष राशि वापस करने का आदेश दिया गया। च) अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटियाँ पाई गईं, इसलिए डीसीआईटी, मंगलुरु द्वारा फरवरी 2025 में एक नया आदेश पारित किया गया, जिसमें 1.85 करोड़ रुपये के रूप में देय शेष कर की मांग की गई।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>CIT(A) passed its order in August 2023 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2023-24/1055161443 (1) by partly allowing the appeal.
c) For the disallowances sustained by the CIT(A), an appeal before the ITAT, Bengaluru was filed by NMPA. The ITAT passed its order in December 2023 deciding the appeal in the favour of the Port.
d) Order giving effect to the order of the ITAT Bengaluru was passed in April 2024 by ACIT, Mangaluru granting refund at Rs. 1.84 Cr.
e) Mistake apparent from record were observed and hence a fresh order giving effect was passed by the DCIT, Mangaluru in February 2025 granting the refund at Rs. 1.68 Cr.
f) A notice was issued u/s 271(1)(c) was issued in March 2025 imposing a penalty of Rs.0.22 Cr. An appeal before the CIT(A) has been filed against this order in April 2025.</td></tr>
<tr><td>6</td><td><table><tr><td>Financial Year</td><td>2013-14</td></tr><tr><td>Assessment Year</td><td>2014-15</td></tr><tr><td>Advance tax paid and TDS Credit</td><td>58.00</td></tr><tr><td>Tax provision as per books</td><td>55.34</td></tr><tr><td>Tax Liability as per ITR filed</td><td>58.00</td></tr><tr><td>Refund claimed as per ITR</td><td>0.00</td></tr></table></td><td>a) The revised return was filed in September 2014 with taxable income as Rs. 169.75 Cr.
b) After scrutiny assessment in October2016, Assessing officer computed disallowances and hence the balance tax payable was assessed as Rs. 5.79 Cr.
c) Aggrieved by the order of the AO NMPA filed , an appeal before the CIT(A) Mangaluru in November 2016. The CIT(A) passed its order in August 2023 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2023-24/1055164148 (1) by partly allowing the appeal.
d) For the disallowances sustained by the CIT(A), NMPAfiled an appeal before the ITAT, Bengaluru. The ITAT passed its order in December 2023 deciding the appeal in the favour of the Port.
e) Order giving effect to the order of the ITAT Bengaluru was passed in April 2024 ACIT, Mangaluru granting balance refund of Rs. 8.41 Cr.
f) Mistake apparent from record were observed and hence a fresh order giving effect was passed by the DCIT, Mangaluru in February 2025 demanding balance tax payable as Rs. 1.85 Cr.
g) A notice was issued u/s 271(1)(c) was issued in March 2025 imposing a penalty of Rs. 0.06 Cr. An appeal before the CIT(A) has been filed against this order in April 2025.</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>a) The revised return was filed in March 2017 with taxable income as Rs. 109.19 Cr. claiming a refund of Rs. 32.7 Cr.
b) After scrutiny assessment in March 2022, Assessing officer</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>छ) धारा 271(1)(सी) के तहत मार्च 2025 में 0.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अप्रैल 2025 में अपील दायर की गई है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2014–15</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2015–16</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>69.82</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>65.87</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>37.12</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>32.7</td></tr>
</table></td><td>क) संशोधित रिटर्न मार्च 2017 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 109.19 करोड़ रुपये थी और 32.7 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) मार्च 2022 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 180.70 करोड़ रुपये और देय शेष कर 0.64 करोड़ रुपये निर्धारित किया।
ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा अक्टूबर 2022 में सीआईटी (ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी (ए) ने जनवरी 2025 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2024–25/1071847561(1) के माध्यम से अपना आदेश पारित किया, जिसमें अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
घ) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, मार्च 2025 में आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2015–16</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2016–17</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>65.43</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>60.31</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>28.92</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>36.51</td></tr>
</table></td><td>क) संशोधित रिटर्न मार्च 2018 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 83.55 करोड़ रुपये थी और 36.51 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) दिसंबर 2018 में जांच मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और कर योग्य आय 170.88 करोड़ रुपये और कर वापसी योग्य 6.89 करोड़ रुपये निर्धारित की।
ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा जनवरी 2019 में सीआईटी(ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) ने जनवरी 2025 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/ 2024–25/1071842461(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया।
घ) सीआईटी(ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए द्वारा मार्च 2025 में आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2016–17</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2017–18</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>87.33</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>47.92</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>45.06</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>42.27</td></tr>
</table></td><td>क) संशोधित रिटर्न मार्च 2018 में दाखिल किया गया था, जिसमें 130.20 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 42.27 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) दिसंबर 2019 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना करते हुए कर योग्य आय 216.58 करोड़ रुपये और वापसी योग्य शेष कर 13.86 करोड़ रुपये निर्धारित किया।
ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा जनवरी 2020 में सीआईटी (ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी (ए) ने जनवरी 2025 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2024–25/1071843769(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया।</td></tr>
</table>

	Financial Year: 2014-15 Assessment Year: 2015-16 Advance tax paid and TDS Credit: 69.82 Tax provision as per books: 65.87 Tax Liability as per ITR filed: 37.12 Refund claimed as per ITR: 32.7	computed disallowances and hence assessed taxable income as Rs. 180.70 Cr. and balance tax payable of Rs. 0.64 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal was filed by NMPA before the CIT(A) Mangaluru in October 2022. The CIT(A) passed its order in January 2025 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/1071847561 (1) treating the appeal as partly allowed. d) For the disallowances upheld by the CIT(A), an appeal has been filed before the ITAT, Bengaluru in March 2025.
8	Financial Year: 2015-16 Assessment Year: 2016-17 Advance tax paid and TDS Credit: 65.43 Tax provision as per books: 60.31 Tax Liability as per ITR filed: 28.92 Refund claimed as per ITR: 36.51	a) The revised return was filed in March 2018 with taxable income as Rs. 83.55 Cr. claiming a refund of Rs. 36.51 Cr. b) After scrutiny assessment in December 2018, Assessing officer computed disallowances and assessed taxable income as Rs. 170.88 Cr. and tax refundable of Rs. 6.89 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in January 2019. The CIT(A) passed its order in January 2025 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/1071842461 (1) by partly allowing the appeal. d) For the disallowances sustained by the CIT(A), an appeal has been filed by NMPA before the ITAT, Bengaluru in March 2025.
9	Financial Year: 2016-17 Assessment Year: 2017-18 Advance tax paid and TDS Credit: 87.33 Tax provision as per books: 47.92 Tax Liability as per ITR filed: 45.06 Refund claimed as per ITR: 42.27	a) The revised return was filed in March 2018 with taxable income of Rs. 130.20 Cr. claiming a refund of Rs. 42.27 Cr. b) After scrutiny assessment in December 2019, Assessing officer computed disallowances assessed taxable income at Rs. 216.58 Cr. and balance tax refundable of Rs. 13.86 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in January 2020. The CIT(A) passed its order in January 2025 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/1071843769 (1) by partly allowing the appeal. d) For the disallowances sustained by the CIT(A), an appeal has been filed by NMPA before the ITAT, Bengaluru in March 2025.
10	Financial Year: 2017-18 Assessment Year: 2018-19 Advance tax paid and TDS Credit: 84.19 Tax provision as per books: 55.55	a) The original return was filed in October 2018 with taxable income of Rs. 150.23 Cr. claiming a refund of Rs. 32.20 Cr. b) After scrutiny assessment in September 2021, Assessing officer computed disallowances, assessed taxable income as Rs. 239.75 Cr. and balance tax refundable of Rs. 1.21 Cr.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>घ) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए द्वारा मार्च 2025 में आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2017–18</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2018–19</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>84.19</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>55.55</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>51.99</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>32.20</td></tr>
</table></td><td>क) मूल रिटर्न अक्टूबर 2018 में दाखिल किया गया था, जिसमें 150.23 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 32.20 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) सितंबर 2021 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की, कर योग्य आय 239.75 करोड़ रुपये और शेष कर वापसी योग्य 1.21 करोड़ रुपये निर्धारित किया।
ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा अक्टूबर 2021 में सीआईटी(ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) ने जनवरी 2025 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2024–25/1071845158 (1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया।
घ) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए द्वारा मार्च 2025 में आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2018–19</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2019–20</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>112.95</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>79.44</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>74.00</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>38.95</td></tr>
</table></td><td>क) मूल रिटर्न अक्टूबर 2019 में दाखिल किया गया था, जिसमें 211.77 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 38.95 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया गया था।
ख) रिटर्न संसाधित किया गया और रिटर्न के अनुसार रिफंड विधिवत प्राप्त हुआ।</td></tr>
<tr><td>12</td><td><table>
<tr><td>वित्तीय वर्ष</td><td>2019–20</td></tr>
<tr><td>मूल्यांकन वर्ष</td><td>2020–21</td></tr>
<tr><td>अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट</td><td>108.60</td></tr>
<tr><td>बही खातों के अनुसार कर प्रावधान</td><td>63.29</td></tr>
<tr><td>दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता</td><td>52.47</td></tr>
<tr><td>आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड</td><td>56.13</td></tr>
</table></td><td>क) संशोधित रिटर्न मार्च 2021 में दाखिल किया गया था, जिसमें 150.14 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 56.13 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था।
ख) सितंबर 2022 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार 200.72 करोड़ रुपये की कर योग्य आय का आकलन किया।
ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा अक्टूबर 2022 में सीआईटी(ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। कार्यवाही चल रही है।</td></tr>
</table>

	Tax Liability as per ITR filed: 51.99 Refund claimed as per ITR: 32.20	c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in October 2021. The CIT(A) passed its order in January 2025 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/1071845158 (1) by partly allowing the appeal. d) For the disallowances sustained by the CIT(A), an appeal has been filed before the ITAT, Bengaluru by NMPA in March 2025.
11	Financial Year: 2018-19 Assessment Year: 2019-20 Advance tax paid and TDS Credit: 112.95 Tax provision as per books: 79.44 Tax Liability as per ITR filed: 74.00 Refund claimed as per ITR: 38.95	a) The original return was filed in October 2019 with taxable income of Rs. 211.77 Cr. claiming a refund of Rs. 38.95 Cr. b) The return was processed and refund duly received as per the return.
12	Financial Year: 2019-20 Assessment Year: 2020-21 Advance tax paid and TDS Credit: 108.60 Tax provision as per books: 63.29 Tax Liability as per ITR filed: 52.47 Refund claimed as per ITR: 56.13	a) The revised return was filed in March 2021 with taxable income of Rs.150.14 Cr. claiming a refund of Rs. 56.13 Cr. b) After scrutiny assessment in September 2022, Assessing officer computed disallowances and hence assessed taxable income of Rs. 200.72 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in October 2022. The proceedings are underway.
13	Financial Year: 2020-21 Assessment Year: 2021-22 Advance tax paid and TDS Credit: 93.63 Tax provision as per books: 71.91 Tax Liability as per ITR filed: 52.04 Refund claimed as per ITR: 41.59	a) The original return was filed in March 2022 with taxable income as Rs.148.94 Cr. claiming a refund of Rs. 41.59 Cr. b) The return was processed and refund duly received as per the return.

13	वित्तीय वर्ष: 2020–21 मूल्यांकन वर्ष: 2021–22 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 93.63 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 71.91 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 52.04 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 41.59	क) मूल रिटर्न मार्च 2022 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 148.94 करोड़ रुपये थी और 41.59 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया गया था। ख) रिटर्न संसाधित किया गया और रिटर्न के अनुसार रिफंड विधिवत प्राप्त हुआ।
14	वित्तीय वर्ष: 2021–22 मूल्यांकन वर्ष: 2022–23 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 121.97 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 97.41 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 72.09 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 49.88	क) संशोधित रिटर्न दिसंबर 2022 में दाखिल किया गया, जिसमें 206.30 करोड़ रुपये की कर योग्य आय थी और 49.88 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया। ख) मार्च 2024 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 431.91 करोड़ रुपये और देय शेष कर 64.77 करोड़ रुपये निर्धारित किया। ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा अप्रैल 2024 में सीआईटी (ए) मंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) ने जनवरी 2025 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2024–25/1071848317(1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया। घ) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, एनएमपीए द्वारा मार्च 2025 में आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की गई
15	वित्तीय वर्ष: 2022–23 मूल्यांकन वर्ष: 2023–24 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 161.61 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 128.73 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 107.51 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 54.10	क) मूल रिटर्न दिसंबर 2023 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 309.14 करोड़ रुपये थी और 54.10 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था। ख) मार्च 2025 में संवीक्षा मूल्यांकन के बाद, निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकृतियों की गणना की और इस प्रकार कर योग्य आय 491.72 करोड़ रुपये और देय शेष कर 69.23 करोड़ रुपये निर्धारित किया। ग) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, सीआईटी (ए) के समक्ष 18/04/2025 को अपील दायर की गई है।
16	वित्तीय वर्ष: 2023–24 मूल्यांकन वर्ष: 2024–25 अग्रिम कर भुगतान और टीडीएस क्रेडिट: 263.52 बही खातों के अनुसार कर प्रावधान: 198.57 दायर किए गए आईटीआर के अनुसार कर देयता: 167.32 आईटीआर के अनुसार दावा किया गया रिफ़ंड: 96.20	क) मूल रिटर्न सितंबर 2024 में दाखिल किया गया था, जिसमें कर योग्य आय 478.82 करोड़ रुपये थी और 96.20 करोड़ रुपये की वापसी का दावा किया गया था। ख) दाखिल रिटर्न को धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया है और 100.96 करोड़ रुपये की वापसी बंदरगाह के बैंक खाते में जमा कर दी गई है। ग) संवीक्षा मूल्यांकन अभी शुरू नहीं हुआ है।

14	Financial Year: 2021-22 Assessment Year: 2022-23 Advance tax paid and TDS Credit: 121.97 Tax provision as per books: 97.41 Tax Liability as per ITR filed: 72.09 Refund claimed as per ITR: 49.88	a) The revised return was filed in December 2022 with taxable income of Rs. 206.30 Cr. claiming a refund of Rs. 49.88 Cr. b) After scrutiny assessment in March 2024, Assessing officer computed disallowances and hence assessed taxable income as Rs. 431.91 Cr. and balance tax payable of Rs. 64.77 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT(A) Mangaluru was filed by NMPA in April 2024. The CIT(A) passed its order in January 2025 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2024-25/1071848317 (1) by partly allowing the appeal. d) For the disallowances sustained by the CIT(A), an appeal has been filed before the ITAT, Bengaluru by NMPA in March 2025.
15	Financial Year: 2022-23 Assessment Year: 2023-24 Advance tax paid and TDS Credit: 161.61 Tax provision as per books: 128.73 Tax Liability as per ITR filed: 107.51 Refund claimed as per ITR: 54.10	a) The original return was filed in December 2023 with taxable income as Rs. 309.14 Cr. claiming a refund of Rs. 54.10 Cr. b) After scrutiny assessment in March 2025, Assessing officer computed disallowances and hence assessed taxable income as Rs. 491.72 Cr. and balance tax payable of Rs. 69.23 Cr. c) Aggrieved by the order of the AO, appeal before the CIT(A) has been filed on 18/04/2025.
16	Financial Year: 2023-24 Assessment Year: 2024-25 Advance tax paid and TDS Credit: 263.52 Tax provision as per books: 198.57 Tax Liability as per ITR filed: 167.32 Refund claimed as per ITR: 96.20	a) The original return was filed in September 2024 with taxable income as Rs. 478.82 Cr. claiming a refund of Rs. 96.20 Cr. b) The return filed has been processed under section 143(1) and refund of Rs. 100.96 Cs has been credited to the bank account of the port. c) The Scrutiny Assessment is yet to be taken up.

- **वस्तु एवं सेवा कर**

क्र. सं.	विवरण (करोड़ रुपये में)		मूल्यांकन की स्थिति
1	जारी करने की अवधि	अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक	क) बेलगावी केंद्रीय कर लेखा परीक्षा आयुक्तालय के अंतर्गत मैंगलोर लेखा परीक्षा मंडल द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के अनुसार, अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट एडीटी 02 संख्या 37/एमएनजी/एल/2021–22 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से जारी की गई। ख) उपरोक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, फॉर्म डीआरसी–01 में कारण बताओ नोटिस एफ संख्या जीएडीटी/सीएनजी/एडीटी/जीएसटी/6110/2021–जीआर 31–सीजीएसटी–एडीटी सीआईआर–एमजीएलआर दिनांक 28.09.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ। ग) उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर 11.11.2023 को दाखिल किया गया। घ) विभाग द्वारा मूल आदेश क्रमांक एमएलआर–जीएसटी–000–एनडीएन–एडीसी–एससी–17–2024–25 दिनांक 30.10.2024 पारित किया गया, जिसमें कारण बताओ नोटिस के अनुसार की गई वृद्धि की पुष्टि की गई। ङ) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, दिनांक 27.01.2025 को अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 में अपील दायर की गई है और कार्यवाही चल रही है।
	संबद्ध मुद्दे	शेड की बिक्री के लिए प्राप्त प्रतिफल पर जीएसटी का भुगतान न करना, अनुबंध का गैर–निष्पादन सहन करना आदि।	
	संबद्ध दायित्व	Rs. 2.17	
2	जारी करने की अवधि	अप्रैल 2020 से मई 2021	क) दिनांक 27.11.2024 को डीआईएन 20241157धन0000888एइउ के माध्यम से फॉर्म डीआरसी–01 में कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। ख) उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर 11.12.2024 को दाखिल किया गया और 31.01.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई। ग) विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2025 को मूल क्रम संख्या एमएलआर–सीजीएसटी–000–एनडी–एसी–केजीएच–10–24–25 आदेश पारित किया गया, जिसमें कारण बताओ नोटिस के अनुसार की गई वृद्धि की पुष्टि की गई। घ) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर करेगा।
	संबंधित मुद्दे	जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3बी में घोषित कर देयता में अंतर	
	संबंधित दायित्व	Rs. 1.78	

- **सीईएसटीएटी**

क्र. सं.	विवरण (करोड़ रुपये में)		मूल्यांकन की स्थिति
1	डायरी सं	23034/2014	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर–इएक्ससीयूएस–000–सीओएम–एमएस–016–13–14 दिनांक 28.03.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 08.09.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
	याचिकाकर्ता का नाम	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	
	प्रतिवादी का नाम संबंधित मुद्दे	मंगलूर एकमुश्त अग्रिम लीज़ प्रीमियम पर सेवा कर	
	संबंधित दायित्व	Rs. 2.41	

- **Goods & Services Tax**

Sl. No.	Particulars (Rs. In Cr.)		Status of Assessment
1	Period of Issue	April 2017 to March 2020	a) As per the Audit conducted by the Mangalore Audit Circle under Belagavi Central Tax Audit Commissionerate, Final Audit Report was issued vide ADT 02 No. 37/MNG/L/2021-22 dated 21.09.2023. b) Based on the above Audit report, Show Cause Notice in Form DRC-01 was received vide F.No. GADT/CnG/ADT/GST/6110/2021-GR 31-CGST-ADT CIR-MGLR dated 28.09.2023. c) The reply to the above SCN was filed on 11.11.2023. d) Order in Original Sl. No. MLR-GST-000-NDN-ADC-SC-17-2024-25 dated 30.10.2024 was passed by the department confirming the additions as per the SCN. e) Aggrieved by the above order, appeal has been filed in Form GST APL 01 before the Appellate Authorities on 27.01.2025 and the proceedings are underway.
	Issues involved	Non-payment of GST on consideration received for sale of shed, tolerating non-performance of contract etc.	
	Liability involved	Rs. 2.17	
2	Period of Issue	April 2020 to May 2021	a) Show Cause Notice in Form DRC-01 was received vide DIN 20241157YZ0000888EBC dated 27.11.2024. b) The reply to the above SCN was filed on 11.12.2024 and a personal hearing was attended on 31.01.2025. c) Order in Original Sl. No. MLR-CGST-000-ND-AC-KGH-10-24-25 dated 24.02.2025 was passed by the department confirming the additions as per the SCN. d) Aggrieved by the above order, NMPA shall be filing the appeal before the Appellate Authorities.
	Issues involved	Difference in tax liability declared in GSTR1 and GSTR3B.	
	Liability involved	Rs. 1.78	

- **CESTAT**

Sl. No.	Particulars (Rs. In Cr.)		Status of Assessment
1	Diary No.	23034/2014	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-COM-MS-016-13-14 dated 28.03.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 08.09.2014 and the case is pending.
	Petitioner name	New Mangalore Port Authority	
	Respondent name	Mangalore	
	Issues involved	Service tax on one-time upfront lease premium	
	Liability involved	Rs. 2.41	

2	डायरी सं: 22911/2014 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: खाली जमीन पर सेवा कर संबंधित दायित्व: Rs. 0.17	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर-इएक्ससीयूएस-000-डीआईवीआई-एपीपी-एचएबी-072-2014 दिनांक 20.05.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 26.08.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
3	डायरी सं: 22862/2014 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: अतिरिक्त भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी संबंधित दायित्व: Rs. 1.26	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर-इएक्ससीयूएस-000-डीआईवीआई-एपीपी-एचएपी-069-2014 दिनांक 12.05.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 20.08.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
4	डायरी सं: 23429/2014 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: सेवा कर के लिए टर्नओवर और लेखा पुस्तकों के अनुसार टर्नओवर के बीच अंतर। संबंधित दायित्व: Rs. 0.43	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर- इएक्ससीयूएस-000-सीओएम-एमएस-002-14-15 दिनांक 25.06.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 28.10.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
5	डायरी सं: 23443/2014 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: घाटशुल्क पर सेवा कर संबंधित दायित्व: Rs. 1.06	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर- इएक्ससीयूएस-000-सीओएम-एमएस-001-14-15 दिनांक 19.06.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 28.10.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
6	डायरी सं: 20460/2015 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: पट्टा किराया और लाइसेंस शुल्क के बकाया पर सेवा कर संबंधित दायित्व: Rs. 4.01	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर- इएक्ससीयूएस-000-सीओएम-012-14-15 दिनांक 21.11.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 05.03.2015 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।

2	Diary No. 22911/2014 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore Issues involved: Service Tax on vacant land Liability involved: Rs. 0.17	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-DIVI-APP-HAB-072-2014 dated 20.05.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 26.08.2014 and the case is pending.
3	Diary No. 22862/2014 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore Issues involved: Refund of excess service tax paid Amount involved: Rs. 1.26	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-DIVI-APP-HAP-069-2014 dated 12.05.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 20.08.2014 and the case is pending.
4	Diary No. 23429/2014 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore Issues involved: Difference between turnover for service tax and as per books of accounts. Liability involved: Rs. 0.43	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-COM-MS-002-14-15 dated 25.06.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 28.10.2014 and the case is pending.
5	Diary No. 23443/2014 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore Issues involved: Service Tax on wharfage charges Liability involved: Rs. 1.06	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-COM-MS-001-14-15 dated 19.06.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 28.10.2014 and the case is pending.
6	Diary No. 20460/2015 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-COM-012-14-15 dated 21.11.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 05.03.2015 and the case is pending.

7	डायरी सं: 22863/2014 याचिकाकर्ता का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण प्रतिवादी का नाम: मंगलूर संबंधित मुद्दे: संशोधित रिटर्न पर भुगतान किए गए अतिरिक्त सेवा कर की वापसी संबंधित दायित्व: Rs. 0.58	क) विभाग ने मूल आदेश एमएलआर- इएक्ससीयूएस-000-डीआईवीआई-एपीपी-एचएपी-069-2014 दिनांक 12.05.2014 के तहत पारित किया। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में 20.08.2014 को अपील दायर की गई और मामला लंबित है।
8	डायरी सं: 02718/2012 याचिकाकर्ता का नाम: मंगलूर प्रतिवादी का नाम: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण संबंधित मुद्दे: अतिरिक्त सेवा कर की वापसी संबंधित दायित्व: ठी. 0.99	क) अपील के अंतर्गत मूल आदेश संख्या 312-2012 दिनांक 19.07.2012 है। ख) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, विभाग द्वारा 01.10.2012 को सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई और मामला लंबित है।

दावा करने की तिथि

- **उच्च न्यायालय**

क्र. सं.	विवरण (करोड़ रुपये में)	मूल्यांकन की स्थिति
1	केस संख्या: आटीए 287/2024 याचिकाकर्ता: प्रधान आयकर आयुक्त प्रतिवादी: नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण दावा करने की तिथि: 18.06.2024 जारी करने की अवधि: अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक	क) निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, एनएमपीए द्वारा जून 2016 में सीआईटी (ए) मंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की गई। सीआईटी(ए) ने अगस्त 2023 में डीआईएन आईटीबीए/एनएफएसी/एस/250/2023-24/1055161443 (1) के माध्यम से अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत मानते हुए अपना आदेश पारित किया। ख) सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई अस्वीकृतियों के लिए, आईटीएटी, बेंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की गई। आईटीएटी ने दिसंबर 2023 में पत्तन के पक्ष में अपील का निर्णय करते हुए अपना आदेश पारित किया। ग) पत्तन के पक्ष में दिए गए उपर्युक्त आईटीएटी आदेश के विरुद्ध, विभाग ने आईटीएटी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। कार्यवाही चल रही है।

	Issues involved: Service Tax on arrears of lease rentals and license fee Liability involved: Rs. 4.01	
7	Diary No.: 22863/2014 Petitioner name: New Mangalore Port Authority Respondent name: Mangalore Issues involved: Refund of excess service tax paid on revised return Amount involved: Rs. 0.58	a) The Department passed the Order in Original vide MLR-EXCUS-000-DIVI-APP-HAP-069-2014 dated 12.05.2014. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed on 20.08.2014 and the case is pending.
8	Diary No.: 02718/2012 Petitioner name: Mangalore Respondent name: New Mangalore Port Authority Issues involved: Refund of excess service tax Liability involved: Rs. 0.99	a) The Order in Original under appeal is No. 312-2012 dated 19.07.2012. b) Aggrieved by the above order, the appeal to the CESTAT was filed by the Department on 01.10.2012 and the case is pending.

- **High Court**

Sl. No.	Particulars (Rs. In Cr.)	Status of Assessment
1	Case Number: ITA 287/2024 Petitioner: The Principal Commissioner of Income Tax Respondent: New Mangalore Port Authority Date of filing: 18.06.2024 Period of Issue: April 2012 to March 2013	a) Aggrieved by the order of the AO, an appeal before the CIT (A) Mangaluru was filed in June 2016 by NMPA. The CIT(A) passed its order in August 2023 vide DIN ITBA/NFAC/S/250/2023-24/1055161443 (1) treating the appeal as partly allowed. b) For the disallowances upheld by the CIT(A), an appeal before the ITAT, Bengaluru was filed. The ITAT passed its order in December 2023 deciding the appeal in the favour of the Port. c) Against the above ITAT order decided in favour of the Port, the department has appealed before the High Court to set aside the order of the ITAT. The proceedings are underway.

- **उच्च न्यायालय**

क्र. सं.	विवरण (करोड़ रुपये में)		मूल्यांकन की स्थिति
1	केस संख्या	006467/2017	क) इसमें शामिल मुद्दा कर-मुक्त अवधि में प्रयुक्त परिसंपत्तियों की मूल लागत पर मूल्यह्रास का दावा है। ख) निर्धारण अधिकारी ने 24.03.2006 को मूल्यांकन आदेश पारित किया, आयकर विभाग ने 13.12.2006 को अपना आदेश पारित किया और आईटीएटी ने 31.01.2008 को आदेश पारित किया। ग) उच्च न्यायालय का मामला संख्या ITA-718-2008, 28.11.2014 को पत्तन के पक्ष में तय हुआ। घ) आयकर आयुक्त ने उपर्युक्त विवादित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 22769/2015 दायर की। कार्यवाही जारी है।
	डायरी संख्या	22771/2015	
	याचिकाकर्ता	आयकर आयुक्त	
	प्रतिवादी	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	
	दावा करने की तिथि	15-07-2015	
	जारी करने की अवधि	अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक	

7) भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम: –

पत्तन संपत्तियों के बीमा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार, पत्तन ने अपने पत्र संख्या पीटी11033-07-2005-पीडी-वी दिनांक 18.05.2015 के अनुसार, पत्तन ने अपनी सभी पत्तन संपत्तियों के लिए पत्तन पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत एक व्यापक बीमा जोखिम कवर लिया है। इस संबंध में,पत्तन ने वर्ष 2024-25 के दौरान मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 6.39 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम भुगतान किया है, जिसे राजस्व व्यय में शामिल किया गया है।

8) बीमा दावे और अन्य: –

क) दिनांक 01.12.2023 को एनएमपीए मार्शलिंग यार्ड रोड संख्या 3 और 4 से गुजरते समय लौह अयस्क चूर्ण से लदे 5 रेलवे वैगनों के पटरी से उतर जाने के कारण मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 37.00 लाख रुपये का बीमा दावा दायर किया गया है। बीमा सर्वेक्षण किया गया है और दावे पर कार्रवाई हेतु पत्तन द्वारा किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का अनुमान बीमा कंपनी को प्रस्तुत किया गया है।

ख) 19.12.2024 को ऑयल जेटी क्षेत्र के फायर पंप हाउस संख्या 2 में स्थित एक डीजल इंजन के अचानक खराब हो जाने के कारण मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 39.00 लाख रुपये का बीमा दावा दायर किया गया है। दावे की सूचना बीमा कंपनी को भेज दी गई है और दावे पर कार्रवाई हेतु नुकसान के आकलन हेतु बीमा सर्वेक्षण किया जा रहा है।

ग) वर्ष 2024-25 के दौरान, सामान्य बीमा निधि के लिए 20.00 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित की गई है।

घ) पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य, जिनका तुलन पत्र तिथि पर प्रावधान नहीं किया गया है, 13.40 करोड़ रुपये है।

ङ) चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः संगठित किया गया है।

- **Supreme Court**

Sl. No.	Particulars (Rs. In Cr.)		Status of Assessment
1	Case Number Diary Number	006467/2017 22771/2015	a) The issue involved is claim of depreciation on the original cost of the assets used in tax-exemption period. b) The AO passed the assessment order on 24.03.2006, CIT passed its order on 13.12.2006 and ITAT passed the order on 31.01.2008 c) The High Court case no.ITA-718-2008 was decided in favour of the Port on 28.11.2014. d) The Commissioner of Income tax filed a SLP (C) NO. 22769/2015 before the Hon'ble Supreme Court against the above impugned order. The proceedings are underway.
	Petitioner	Commissioner of Income Tax	
	Respondent	New Mangalore Port Authority	
	Date of filing	15-07-2015	
	Period of Issue	April 2002 to March 2003.	

7) INSURANCE PREMIUM PAID: -

As per the Guidelines issued by the Government vide its Letter No.PT11033-07-2005-PD-V DT.18.05.2015 for Insurance of Port properties, the Port has taken a comprehensive Insurance Risk Cover under the Port Package Policy for all the Port Assets. In this regard, the Port has paid an insurance premium of Rs.6.39 Crores to M/s New India Assurance Co. Ltd., during the year 2024-25, which has been charged to Revenue expenditure.

8) INSURANCE CLAIMS AND OTHERS: –

a) An Insurance Claim of Rs. 37.00 Lakhs has been lodged with M/s New India Assurance Co. Ltd. due to derailment of 5 Nos. Railway Wagons loaded with Iron Ore Fines while passing through NMPA Marshalling Yard Road No. 3 & 4 on 01.12.2023. Insurance Survey has been conducted and an estimate of the restoration works carried out by the Port have been submitted to the Insurance Company for processing the claim.

b) An Insurance Claim of Rs.39.00 lakhs have been lodged with M/s New India Assurance Co. Ltd., due to the sudden breakdown of a Diesel engine situated at Fire Pump House No.2 of Oil Jetty area on 19.12.2024. A claim intimation has been sent to Insurance company and Insurance survey is underway for assessment of loss, in order to process the claim.

c) During the year 2024-25, an amount of Rs.20.00 Crores has been appropriated towards General Insurance Fund.

d) Estimated value of Contracts remaining to be executed on Capital account and not provided for at the balance sheet date is Rs.13.40 Cr.

e) Previous year's figures have been re-grouped wherever necessary to conform to the Current Year's classification.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसी वर्ष समाप्त हुए वर्ष का लाभ–हानि विवरण, और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट/ सीएजी की लेखापरीक्षा के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पनियां तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं, तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत खातों/लेखा मानकों के एक समान प्रारूप के अनुसार, उसके वित्तीय निष्पादन और उसके नकदी प्रवाह का भी सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिदेशों/मार्गदर्शन–टिप्पणी/आदेश/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

(एबी) के शासी निकाय का मंडल भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा/लेखा मानकों के एकरूप प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है ताकि नकली या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण नकलीया त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिदेशों/मार्गदर्शन–टिप्पणियों/आदेश/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

स्थान: चेन्नाई
दिनांक: 29.09.2025

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ता/–
एस. वेल्लियांगिरी
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

OPINION OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF NEW MANGALORE PORT AUTHORITY FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

Opinion

We have audited the financial statements of New Mangalore Port Authority, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Profit and Loss account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021. This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection report/ CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of New Mangalore Port Authority, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts/accounting standards generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standard/manual/ guideline/guidance-note/order/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Board of the Governing Body of (AB) is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts/accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standard/ manual/ guidelines/ guidance-notes/ order/circulars etc.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
S. Velliangiri
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date: 29.09.2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क.	तुलन पत्र
1.	**निधि के स्रोत** **आरक्षित और अधिशेष** **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि : 30,77,04,034** उपर्युक्त में ₹ 3,45,50,471 (वर्ष 2015–16 से 2021–22 की अवधि के लिए) का अप्रयुक्त सीएसआर निधि शामिल है, जो पत्तन की सीएसआर नीति का उल्लंघन है। नीति के अनुसार, यदि पत्तन अगले दो वित्तीय वर्षों के भीतर अप्रयुक्त बजट खर्च करने में असमर्थ रहता है, तो अप्रयुक्त राशि को एक अलग संधारणीयता निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पत्तन सीएसआर निधि खर्च करने के लिए बाध्य है, इसलिए इसे आरक्षित निधि और अधिशेष के बजाय देनदारियों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों को न्यूनोक्ति और आरक्षित निधियों एवं अधिशेष को अत्युक्ति दर्शाया गया और ₹ 30,77,04,034 का अधिशेष
2.	**निधियों का अनुप्रयोग** **वर्तमान देयताएँ और प्रावधान** **वर्तमान देयताएँ – विविध लेनदार, जमा राशियाँ और देय राशियाँ** **उपार्जित व्यय: 66,10,86,863** उपर्युक्त शीर्ष में 11.03.2025 से 31.03.2025 (20 दिन) की अवधि के लिए मानसून पश्चात रखरखाव ड्रेजिंग सेवाओं के लिए देयता के रूप में 5,34,69,009 शामिल नहीं थे। वर्ष के दौरान प्राप्त सेवाओं के लिए संबंधित उपार्जित व्यय प्रदान किए जाने आवश्यक हैं। अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को न्यूनोक्ति दर्शाया गया और लाभ को ₹ 5,34,69,009/– से अत्युक्ति दर्शाया गया।
3.	**निधियों का उपयोग** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ – विविध देनदार – अनुसूची 4 जी.एल.** **16000010 – प्राप्य विविध: ₹ 10,25,71,339** उपर्युक्त शीर्ष में सरकारी और गैर–सरकारी देनदारों से 2011 से लंबित असमाधानित और अपुष्ट बकाया राशियाँ शामिल हैं। इसलिए, 2011 से लंबित असमाधानित शेष राशियों के लिए एक प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।
4.	**निधियों का उपयोग** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ – विविध देनदार – अनुसूची 4** **अन्य: 32,23,498 (906 संपदा दंड)** उपर्युक्त मद में इंडिया मोलासेस कंपनी लिमिटेड से परिसंपत्ती बकाया पर 1,78,34,643 का विवादित जुर्माना शामिल था। मामला सुलह समझौता समिति को भेजा गया और एक अंतिम समझौता हुआ (29.04.2025)। समझौते के अनुसार, एनएमपीए को इंडिया मोलासेस कंपनी लिमिटेड को 40,66,03,041 का भुगतान करना था। एएस 4 – आकस्मिकताएँ और तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाली घटनाएँ – के तहत परिभाषित एक समायोजन घटना होने के कारण, इसके लिए देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए। जुर्माने के कारण देय राशि को भी उलटना आवश्यक था। ये लेखांकन प्रविष्टियाँ पत्तन द्वारा नहीं की गई थीं।

SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF NEW MANGALORE PORT AUTHORITY FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

A.	Balance Sheet
1.	**Sources of Funds** **Reserves and Surplus** **Corporate Social Responsibility Fund: 30,77,04,034** The above includes unutilised CSR fund of 3,45,50,471 (for the period 2015-16 to 2021-22) in violation of Port's CSR policy which stated that if the port is unable to spend the unutilised budget within the next two financial years, the unspent amount is to be transferred to a separate Sustainability Fund. Further, Port is obligated to spend CSR Fund hence it should have been accounted under liabilities instead of Reserves and Surplus. This resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Reserves and Surplus by ₹30,77,04,034
2.	**Application of Funds** **Current Liabilities & Provisions** **Current Liabilities - Sundry Creditors, Deposits & Payables** **Accrued Expenses: 66,10,86,863** The above head did not include 5,34,69,009 being liability towards post monsoon maintenance dredging services for the period 11.03.2025 to 31.03.2025 (20 days). The related accrued expenses need to be provided for services availed during the year. Non-compliance resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Profit by 5,34,69,009/-
3.	**Application of Funds** **Current Assets, Loans and Advances** **Current Assets — Sundry Debtors- Schedule 4 G.L.** **16000010 - Receivables Miscellaneous: ₹10,25,71,339** The above head included unreconciled and unconfirmed dues pending since 2011 from Government and Non-Government debtors. Hence, a provision needs to be created for unreconciled balances pending since 2011.
4.	**Application of Funds** **Current Assets, Loans and Advances** **Current Assets - Sundry Debtors — Schedule 4** **Others: (906 Estate Penalty)** The above head included disputed penalty of 1,78,34,643 on estate dues from India Molasses Company Limited. The matter was referred to Conciliation Settlement Committee and a final settlement agreement executed (29.04.2025). As per the agreement NMPA was to pay 40,66,03,041 to India Molasses Company Limited. Being an adjusting event as defined under AS 4 — Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date, the liability for the same should be provided for. The amount of dues on account of penalty was also required to be reversed. These accounting entries were not made by the Port.

	इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को 1,78,34,363 से अत्युक्ति बताया गया और चालू देयता को ₹ 40,66,03,041 से न्यूनोक्ति दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को ₹ 42,44,37,404 अत्युक्ति बताया गया।
ख.	**लाभ और हानि खाता**
1.	**वित्त एवं विविध आय – अनुसूची–15** **सामान्य निवेश पर ब्याज: ₹ 156,09,28,741** उपर्युक्त शीर्ष में 20,01,40,075 शामिल थे, जो पिछले वर्ष और चालू वर्ष के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के बीच का अंतर था, जिसे निवेश को वहन लागत पर रखते हुए, चालू परिसंपत्तियों (निवेश पर अर्जित ब्याज) की संगत मान्यता के साथ ब्याज आय के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, वर्ष के दौरान एनएवी (बिना बिक्री इकाइयों) में अंतर को आय के रूप में मान्यता देने के परिणामस्वरूप सामान्य निवेश पर ब्याज और लाभ को 20,01,40,075 अत्युक्ति दर्शाया गया। 2020–21 से 2023–24 तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार–बार लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।
2.	**व्यय** **पोत परिवहन के लिए पत्तन और गोदी सुविधाओं पर व्यय: 1,39,23,70,549 – अनुसूची 11** **ड्रेजिंग और समुद्री सर्वेक्षण: ₹ 38,71,65,323** 2024–25 के दौरान मानसून–पश्चात रखरखाव ड्रेजिंग के निष्पादन में देरी के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 2,45,30,968 का परिसमाप्त क्षतिपूर्ति (एलडी) लगाया गया। हालाँकि, एलडी राशि को ड्रेजिंग व्यय से नहीं काटा गया। एलडी राशि की वसूली की गई और 2025–26 के दौरान उसका लेखा–जोखा रखा गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा–चढ़ाकर और लाभ को ₹ 2,45,30,968 न्यूनोक्ति दर्शाया गया।
3.	**प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय: ₹ 64,31,19,263 –** **अनुसूची 14 प्रबंधन एवं सचिवीय व्यय: ₹ 27,62,97,741** उपर्युक्त में भारतीय पत्तन संघ को देय 1,89,60,000 की राशि शामिल नहीं है, जो 2023–25 की अवधि से संबंधित है। देय राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रबंधन एवं सचिवीय व्यय, उपार्जित व्ययों की देयता और लाभ को 1,89,60,000 से अत्युक्ति दर्शाया गया।
ग.	**प्राप्तियां और भुगतान खाते – शून्य**
घ.	**लेखांकन नीतियां**
1.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची 17)** महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम (अधिनियम), 2021 (नवंबर 2021) के अधिनियमन (फरवरी 2021) और अपनाने के परिणामस्वरूप, महा पत्तन प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 44 (1) और महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 के नियम 8 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करना है। तदनुसार खातों के वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्रों में तैयार किए जाने हैं और समय–समय पर जारी किए गए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानकों के अनुपालन में पत्तन के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देंगे। हालाँकि, पत्तन के वार्षिक लेखा विवरण (2024–25) में निर्धारित प्रारूप में लेखा प्रस्तुत करने और लेखा मानकों के अनुपालन का कोई दावा शामिल नहीं था। वार्षिक लेखा विवरण में लेखा मानक–3 के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं था।

	This resulted in overstatement of Sundry Debtors by 1,78,34,363 and understatement of Current Liability by Consequently, profit for the year was overstated by ₹ 42,44,37,404
B.	**Profit & Loss Account**
1.	**Finance and Miscellaneous Income - Schedule -15** **Interest on General Investments:** ₹156,09,28,741 The above head included 20,01,40,075, being difference between Net Asset Value (NAV) as on the previous year and current year which was recognised as interest income with a corresponding recognition of Current Assets (Interest Accrued on Investments), by keeping the investment at the carrying cost. Thus, recognising difference in NAV (unsold units) as income during the year resulted in overstatement of Interest on General Investment and profit by 20,01,40,075. No corrective action was ensured despite repeated audit comments in Separate Audit Reports of 2020-21 to 2023-24.
2.	**Expenditure** **Port & Dock Facilities for shipping: 1,39,23,70,549 - Schedule 11** **Dredging and Marine Survey:** ₹38,71,65,323 Liquidated Damages (LD) of æ 2,45,30,968 was levied on Dredging Corporation of India Limited for delay in execution of post-monsoon maintenance dredging during 2024-25. However, the LD amount was not deducted from the dredging expenses. LD amount was recovered and accounted during 2025-26. This resulted in overstatement of expenses and understatement of Profit by 1,89,60,000.
3.	**Management & General Administrative Expenses: 64,31,19,263 - Schedule 14** **Management & Secretarial Expenses: 27,62,97,741** The above did not include 1,89,60,000 being dues payable to Indian Port Association, relating to the period 2023-25. Non-provision of payables resulted in understatement of Management & Secretarial Expenses, liability for accrued expenses and overstatement of Profit by 1,89,60,000.
C.	**Receipts and Payments Account -Nil**
D.	**Accounting Policies**
1.	**Significant Accounting Policies (Schedule 17)** Consequent to enactment (February 2021) and adoption of Major Port Authority Act (Act), 2021 (November 2021), Major Port Authorities are to ensure compliance to Section 44(1) of the Act and Rule 8 (3) of Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rule 2021. Accordingly Annual Statements of accounts are to be prepared in prescribed forms and shall give a true and fair view of the state of affairs of the Port in compliance with Accounting Standards of the Institute of Chartered Accounts of India issued from time to time. However, the Annual Statement of accounts (2024-25) of the Port did not include any assertion on presenting the accounts in the prescribed format and compliance to Accounting Standards. The Annual Statement of accounts did not contain the Cash Flow Statement in compliance with Accounting Standard —3.

ड.	**सामान्य – शून्य**
च.	**प्रबंधन पत्र** जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।
छ.	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन** i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पत्तन के पास कोई अनुमोदित आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली नहीं है। पत्तन की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था, जो पत्तन की प्रमुख गतिविधियों को संरक्षण करता है। ii) **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर यथासमय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।** प्रभावी आंतरिक नियंत्रण का अभाव इस तथ्य से स्पष्ट था कि अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 10 वर्षों के बजाय 100 वर्षों के रूप में लिया गया था। iii) **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तीन वर्षों में एक बार किया जाता है। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2024–25 के लिए निर्धारित था, लेकिन 31.03.2025 तक यह पूरा नहीं हो पाया। iv) **इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया। हालाँकि, संबंधित विभागों द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया और यदि कोई अंतर था, तो उसे खातों में अद्यतन नहीं किया गया। मांगे गए बिन कार्ड विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। धीमी गति से चलने वाली, गैर–चलने वाली और अप्रचलित वस्तुओं का मूल्य रिपोर्ट में निर्धारित नहीं किया गया था। v) **सांविधिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता।** पत्तन निर्विवाद सांविधिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। vi) **इकाई के प्रकार्य से संबंधित अन्य मामले** – शून्य
ज.	**सहायता अनुदान** वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान: चेन्नाई
दिनांक: 29.09.2025

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ता/–
एस. वेल्लियांगिरी
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

E.	**General -Nil**
F.	**Management Letter** Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the New Mangalore Port Authority through a Management letter being issued separately for remedial/corrective action.
G.	**Assessment of Internal Controls** i) Adequacy of Internal Control System The Port does not have an approved Internal Audit Manual. Internal audit of the Port was entrusted to Chartered Accountants, which covers major activities of the Port. ii) Adequacy of Internal Audit System will be forwarded in due course Absence of effective internal control was evident from the facts that Depreciation on Fixed Assets was taken as 100 years instead of 10 years. iii) System of Physical Verification of Fixed Assets Physical verification of Fixed Assets is carried out once in 3 years. Physical verification of Assets was due for 2024-25 and the same was not completed as on 31.03.2025. iv) System of Physical verification of inventory Physical verification of inventories was carried out. However, the same was not reconciled by the concerned departments and differences, if any, was not updated in the accounts. Bin cards details called for were not produced. The value of slow moving, non-moving and obsolete items were not quantified in the report. v) Regularity in payment of statutory dues The Port is regular in depositing undisputed statutory dues. vi Other matters relating to functioning of the entity -Nil
H.	**Grants-in-aid** No grants were received during the year.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
S. Velliangiri
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date: 29.09.2025

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

वित्त वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र पर कृत कार्रवाई टिप्पणी

एओ आर सं.	लेखापरीक्षा	कृत कार्रवाई टिप्पणी
	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	
क. 1.	**तुलन पत्र** **निधि के स्रोत** **आरक्षित और अधिशेष** **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि:** 30,77,04,034 उपर्युक्त में 3,45,50,471 (वर्ष 2015–16 से 2021–22 की अवधि के लिए) का अप्रयुक्त सीएसआर निधि शामिल है, जो पत्तन की सीएसआर नीति का उल्लंघन है। नीति के अनुसार, यदि पत्तन अगले दो वित्तीय वर्षों के भीतर अप्रयुक्त बजट खर्च करने में असमर्थ रहता है, तो अप्रयुक्त राशि को एक अलग संधारणीयता निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पत्तन सीएसआर निधि खर्च करने के लिए बाध्य है, इसलिए इसे आरक्षित निधि और अधिशेष के बजाय देनदारियों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों को न्यूनोक्ति और आरक्षित निधियों एवं अधिशेष को अत्युक्ति दर्शाया गया और 30,77,04,034 का अधिशेष ।	मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए नए कॉमन फ्रेमवर्क (सीएफएफआर) या सीएसआर दिशानिर्देशों में, लेखापरीक्षा के अनुसार, कोई विशिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताएँ नहीं हैं। हालाँकि, नए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप (सीएफएफआर) पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और एक बार इसकी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, सीएसआर फंड का खुलासा नए अधिसूचित सीएफएफआर के अनुसार किया जाएगा।
2.	**II निधियों का अनुप्रयोग** **4. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान** **क. वर्तमान देयताएँ** **(ii) विविध लेनदार, जमा राशियाँ और देय राशियाँ** **क) उपार्जित व्यय:** ₹ 66,10,86,863 उपर्युक्त शीर्ष में 11.03.2025 से 31.03.2025 (20 दिन) की अवधि के लिए मानसून पश्चात रखरखाव ड्रेजिंग सेवाओं के लिए देयता के रूप में ₹ 5,34,69,009 शामिल नहीं थे। वर्ष के दौरान प्राप्त सेवाओं के लिए संबंधित उपार्जित व्यय प्रदान किए जाने आवश्यक हैं। अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को न्यूनोक्ति दर्शाया गया और लाभ को ₹ 5,34,69,009/– से अत्युक्ति दर्शाया गया।	ड्रेजिंग एक अवधि–आधारित व्यय नहीं है, बल्कि यह ड्रेजिंग की गई मात्रा पर आधारित है और इंजीनियरों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इसका परिमाणन किया जाता है। उपार्जित व्यय दर्ज करने के लिए, ड्रेजिंग की गई मात्रा पर सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है, जो 31 मार्च 2025 तक नहीं हुआ और तकनीकी कारणों से 31 मार्च तक राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सका। इसलिए, यह राशि उपार्जित व्यय के रूप में खातों में दर्ज नहीं की गई। हालाँकि, भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट कर लिया गया है।
3.	**निधियों का उपयोग** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **वर्तमान परिसंपत्तियाँ – विविध देनदार – अनुसूची 4** **जी.एल. ₹ 16000010 – प्राप्य विविध: ₹ 10,25,71,339** उपर्युक्त शीर्ष में सरकारी और गैर–सरकारी देनदारों से 2011 से लंबित असमाधानित और अपुष्ट बकाया राशियाँ शामिल हैं। इसलिए, 2011 से लंबित असमाधानित शेष राशियों के लिए एक प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया । ये पुराने मामले हैं, जिनमें खाता बही सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। लेन–देन की पहचान और समाधान हो जाने के बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थिति को अद्यतन किया जाएगा।
4.	**निधियों का उपयोग** **वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम** **वर्तमान संपत्तियाँ – विविध देनदार – अनुसूची 4** **अन्य: ₹ 32,23,52,498 (906 संपदा दंड)**	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया । पक्षों के बीच अंतिम निपटान समझौते पर 29–4–2025 को हस्ताक्षर किए गए। सीएससी अंतिम निपटान समझौते के अनुसार, एनएमपीए को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर/ प्रमाणीकरण के 7

ACTION TAKEN NOTES ON THE SEPARATE AUDIT REPORT & MANAGEMENT LETTER ON THE AUDIT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE FY 2024-25

AOR No.	Audit observation	Action taken notes
	SEPARATE AUDIT REPORT	
A. 1.	**BALANCE SHEET** Sources of Funds Reserves and Surplus Corporate Social Responsibility Fund ₹ 30,77,04,034 The above includes unutilised CSR fund of ₹ 3,45,50,471 (for the period 2015-16 to 2021-22) in violation of Port's CSR policy which stated that if the port is unable to spend the unutilised budget within the next two financial years, the unspent amount is to be transferred to a separate Sustainability Fund. Further, Port is obligated to spend CSR Fund hence it should have been accounted under liabilities instead of Reserves and Surplus. This resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Reserves and Surplus by ₹ 30,77,04,034.	In the new Common Framework for either in Current Financial Reporting (CFFR) or CSR guidelines provided by the ministry, there is no specific disclosure requirements as observed by the audit. However, New Financial Reporting format (CFFR) is under active consideration with the Ministry and once it is notified, the CSR Fund will be disclosed in accordance with the new notified CFFR.
2.	**II Application of Funds** **4. Current Liabilities & Provisions** **A. Current Liabilities** **(ii) Sundry Creditors, Deposits & Payables** **(a) Accrued Expenses ₹ 66,10,86,863** The above does not include ₹ 5,34,69,009 being liability towards post Monsoon Maintenance dredging services for the period from 11.03.2025 to 31.03.2025 (20 days) The related accrued expenses need to be provided for services availed during the year. Non-compliance resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Profit by 5,34,69,009.	Dredging is not period based expenditure, it is based on quantity dredged and quantified on the basis of survey conducted by engineers. For booking Accrued Expenses the Survey has to be conducted on the quantity dredged, the same did not happen until 31st March 2025 and amount could not be estimated by 31st March for technical reasons. Hence, the amount was not provided in the accounts as accrued expenditure. However, audit observation is noted for future compliance
3.	**Application of Funds** **Current Assets, Loans and Advances** **Current Assets - Sundry Debtors- Schedule 4** **G.L. 16000010– Receivables Miscellaneous: ₹ 10,25,71,339** The above head included unreconciled and unconfirmed dues pending since 2011 from Government and Non-Government debtors. Hence, a provision needs to be created for unreconciled balances pending since 2011.	Audit observations are noted. These are old issues, wherein ledger verification exercise is in progress. Once the transactions are identified and reconciled, suitable action as deemed fit will be taken. The position will be updated in FY 2025-26.
4.	**Application of Funds** **Current Assets, Loans and Advances** **Current Assets - Sundry Debtors – Schedule 4** **Others: 32,23,52,498 (906 Estate Penalty)**	Audit observation is noted. The Final settlement agreement was signed between the parties on 29-4-2025. As per the CSC Final settlement agreement, NMPA had to pay Rs. 40,66,03,041/- within 7

एओ आर सं.	लेखापरीक्षा	कृत कार्रवाई टिप्पणी
	उपर्युक्त मद में इंडिया मोलासेस कंपनी लिमिटेड से संपत्ति बकाया पर 1,78,34,643 का विवादित जुर्माना शामिल था। मामला सुलह समझौता समिति को भेजा गया और एक अंतिम समझौता हुआ (29.04.2025)। समझौते के अनुसार, एनएमपीए को इंडिया मोलासेस कंपनी लिमिटेड को 40,66,03,041 का भुगतान करना था। एएस 4 – आकस्मिकताएँ और तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाली घटनाएँ – के तहत परिभाषित एक समायोजन घटना होने के कारण, इसके लिए देयता का प्रावधान किया जाना चाहिए। जुर्माने के कारण देय राशि को भी उलटना आवश्यक था। ये लेखांकन प्रविष्टियाँ पत्तन द्वारा नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को 1,78,34,363 से अत्युक्ति बताया गया और चालू देयता को से न्यूनोक्ति बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए ₹ 42,44,37,404. लाभ को अत्युक्ति बताया गया।	दिनों के भीतर 40,66,03,041/– रुपये का भुगतान करना था। चूँकि अंतिम निपटान 29–04–2025 को ही हुआ था, इसलिए इसका लेखा 2025–26 के दौरान किया जाएगा।
4. (एई–9)	II **निधियों का उपयोग** 1. **अचल/पूंजीगत संपत्तियाँ** **क. सकल ब्लॉक 13,49,05,04,847** **ख. प्रगति पर पूंजीगत कार्य – 51,08,84,456** स्थायी संपत्तियों के सकल ब्लॉक में बिटुमिनस परत के साथ सर्विस रोड को चौड़ा करने की लागत 1,13,56,969 शामिल नहीं है। यद्यपि कार्य 29.12.2024 को पूरा हो गया था, संबंधित लागत को पूंजीकृत नहीं किया गया था, बल्कि राजस्व व्यय के रूप में लिया गया था। पूंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को न्यूनोक्ति दर्शाया गया और लाभ को 1,13,56,969 न्यूनोक्ति दर्शाया गया। इसके बाद मूल्यह्रास को भी न्यूनोक्ति दर्शाया गया है।	लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया । चूँकि सड़क एनएचएआई की है और इसका उपयोग पत्तन गतिविधि से संबंधित वाहनों के लिए किया जाता है, इसलिए व्यय को राजस्व में दर्ज किया गया है। यह पत्तन के संचालन को बनाए रखने से संबंधित व्यय का एक हिस्सा है।
ख	**लाभ और हानि खाता**	
1.	**वित्त एवं विविध आय – अनुसूची–15** **सामान्य निवेश पर ब्याज: 156,09,28,741** उपर्युक्त शीर्ष में 20,01,40,075 शामिल थे, जो पिछले वर्ष और चालू वर्ष के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के बीच का अंतर था, जिसे निवेश को वहन लागत पर रखते हुए, चालू परिसंपत्तियों (निवेश पर अर्जित ब्याज) की संगत मान्यता के साथ ब्याज आय के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, वर्ष के दौरान एनएवी (बिना बिक्री इकाइयों) में अंतर को आय के रूप में मान्यता देने के परिणामस्वरूप सामान्य निवेश पर ब्याज और लाभ को 20,01,40,075 अत्युक्ति दर्शाया गया। 2020–21 से 2023–24 तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार–बार लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई।	लेखापरीक्षा अवलोकन को ध्यान में रखा गया है। पारस्परिक निधि में निवेश 29.05.2025 (यूटीआई एमएफ) और 02.06.2025 (एसबीआई एमएफ) को भुनाया जा चुका है।
2.	**पोत परिवहन के लिए पत्तन और गोदी सुविधाओं पर व्यय: 1,39,23,70,549 – अनुसूची 11 ड्रेजिंग और समुद्री सर्वेक्षण: 38,71,65,323**	परिसमाप्त क्षतियाँ उपार्जन आधार पर दर्ज नहीं की जाती हैं। समायोजन के लिए उपलब्ध बिलों की सीमा तक परिसमाप्त क्षतियाँ दर्ज की जा सकती हैं और कार्यपालक भियंता परिसमाप्त क्षतियों पर

AOR No.	Audit observation	Action taken notes
	The above head included disputed penalty of 1,78,34,643 on estate dues from India Molasses Company Limited. The matter was referred to Conciliation Settlement Committee and a final settlement agreement executed (29.04.2025). As per the agreement NMPA was to pay ₹ 40,66,03,041 to India Molasses Company Limited. Being an adjusting event as defined under AS 4 - Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date, the liability for the same should be provided for. The amount of dues on account of penalty was also required to be reversed. These accounting entries were not made by the Port. This resulted in overstatement of Sundry Debtors by 1,78,34,363 and understatement of Current Liability by ₹ 40,66,03,041. Consequently, profit for the year was overstated by ₹42,44,37,404.	days of signing/ authentication of the settlement agreement. Since the Final Settlement was reached only on 29-04-2025 the same is accounted during 2025-26.
4. (AE-9)	**II Application of Funds** **1. Fixed/Capital Assets** **A. Gross Block ₹13,49,05,04,847** **B. Capital work in progress - ₹ 51,08,84,456** Gross Block of Fixed Assets does not include ₹ 1,13,56,969 being cost of widening the service road with Bituminous layer. Although the work was completed on 29.12.2024, related cost was not capitalised but charged off as revenue expenditure. Non-capitalisation resulted in understatement of fixed assets and understatement of profit by ₹ 1,13,56,969. Subsequently depreciation is also understated.	Audit observation is noted. Since the road belongs to NHAI and road is used for port activity related vehicles, the expenditure has been booked to revenue. It is a part of expenses related to maintaining the operation of the port.
B.	**PROFIT & LOSS ACCOUNT**	
1.	**Finance and Miscellaneous Income - Schedule-15** **Interest on General Investments: ₹ 156,09,28,741** The above head included 20,01,40,075, being difference between Net Asset Value (NAV) as on the previous year and current year which was recognised as interest income with a corresponding recognition of Current Assets (Interest Accrued on Investments), by keeping the investment at the carrying cost. Thus, recognising difference in NAV (unsold units) as income during the year resulted in overstatement of Interest on General Investment and profit by ₹ 20,01,40,075. No corrective action was ensured despite repeated audit comments in Separate Audit Reports of 2020-21 to 2023-24.	The Audit observation has been taken into consideration. The Investments in Mutual funds have since been redeemed on 29.05.2025 (UTI MF) and 02.06.2025 (SBI MF)

एओ आर सं.	लेखापरीक्षा	कृत कार्रवाई टिप्पणी
	2024–25 के दौरान मानसून–पश्चात रखरखाव ड्रेजिंग के निष्पादन में देरी के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 2,45,30,968 का परिसमाप्त क्षतिपूर्ति (एलडी) लगाया गया। हालाँकि, एलडी राशि को ड्रेजिंग व्यय से नहीं काटा गया। एलडी राशि की वसूली की गई और 2025–26 के दौरान उसका लेखा–जोखा रखा गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा–चढ़ाकर और लाभ को 2,45,30,968 न्यूनोक्ति दर्शाया गया।	निर्णय लेता है। मेसर्स ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एनएमपीए में मानसून पश्चात रखरखाव ड्रेजिंग के भुगतान का बिल संबंधित विभाग से 03.04.2025 को प्राप्त हुआ। अतः 2,45,30,968/– रुपये (परिसमाप्त क्षतियाँ) परिसमाप्त क्षतियाँ दर्ज की गईं और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लेखा में दर्ज की गईं। लेखापरीक्षा अवलोकन को आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त वर्ष 2025–26 के लिए नोट कर लिया गया है और इस दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।
3.	**प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय: 64,31,19,263 –** **अनुसूची 14 प्रबंधन एवं सचिवीय व्यय: 27,62,97,741** उपर्युक्त में भारतीय पत्तन संघ को देय 1,89,60,000 की राशि शामिल नहीं है, जो 2023–25 की अवधि से संबंधित है। देय राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रबंधन एवं सचिवीय व्यय, उपार्जित व्ययों की देयता और लाभ को 1,89,60,000 से अत्युक्ति दर्शाया गया।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ग.	**प्राप्तियां और भुगतान खाते – शून्य**	
घ.	**लेखांकन नीतियां**	
1.	महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम (अधिनियम), 2021 (नवंबर 2021) के अधिनियमन (फरवरी 2021) और अपनाने के परिणामस्वरूप, महा पत्तन प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 44 (1) और महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम 2021 के नियम 8 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करना है। तदनुसार खातों के वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्रों में तैयार किए जाने हैं और समय–समय पर जारी किए गए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानकों के अनुपालन में पत्तन के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देंगे। हालाँकि, पत्तन के वार्षिक लेखा विवरण (2024–25) में निर्धारित प्रारूप में लेखा प्रस्तुत करने और लेखा मानकों के अनुपालन का कोई दावा शामिल नहीं था। वार्षिक लेखा विवरण में लेखा मानक–3 के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं था।	क) वार्षिक लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्ट के सामान्य ढाँचे (बिलिमोरिया रिपोर्ट) के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, लेखा नीतियों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है और वार्षिक लेखों के मुद्रण के दौरान इसे ठीक कर दिया जाएगा। ख) वित्तीय रिपोर्ट के वर्तमान सामान्य ढाँचे में वार्षिक लेखों में नकदी प्रवाह विवरण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, इसे प्रदान नहीं किया गया है और लेखापरीक्षा कृपया इस अनुच्छेद को हटा दे।
ड.	**सामान्य – शून्य**	
च.	**प्रबंधन पत्र** जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।	
छ.	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन** **i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।** पत्तन के पास कोई अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं है। पत्तन की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था, जो पत्तन की प्रमुख गतिविधियों को संरक्षण करता है।	चूँकि आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य पेशेवर चार्टर्ड फर्म को सौंपा गया है और लेखापरीक्षा का दायरा कार्य आदेश में निर्दिष्ट है, इसलिए अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं बनाई गई है। हालाँकि, आईपीए (भारतीय पत्तन संघ) से सभी महा पत्तनों पर लागू होने वाली एक सामान्य आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा।

AOR No.	Audit observation	Action taken notes
2.	**Expenditure Port & Dock Facilities for shipping:** **₹ 1,39,23,70,549 - Schedule 11 Dredging and Marine Survey: ₹ 38,71,65,323** Liquidated Damages (LD) of 2,45,30,968 was levied on Dredging Corporation of India Limited for delay in execution of post-monsoon maintenance dredging during 2024-25. However, the LD amount was not deducted from the dredging expenses. LD amount was recovered and accounted during 2025-26. This resulted in overstatement of expenses and understatement of Profit by 2,45,30,968.	Liquidated damages are not booked on accrual basis. LD can be booked to the extent of bills available for adjustment and the executing engineer takes the call on LD. The bill for payment of Post Monsoon Maintenance dredging at NMPA of M/s Dredging Corporation of India Limited was received on 03.04.2025 from the concerned Department. Hence a sum of Rs.2,45,30,968/-(Liquidated Damages) LD was booked and accounted for FY 2025-26. The audit observation is noted FY 2025-26 for necessary action. and will be reviewed during
3.	**Management & General Administrative Expenses: Rs. 64,31,19,263 –** **Schedule 14 Management & Secretarial Expenses:** **₹ 27,62,97,741** The above did not include 1,89,60,000 being dues payable to Indian Port Association, relating to the period 2023-25. Non-provision of payables resulted in understatement of Management & Secretarial Expenses, liability for accrued expenses and overstatement of Profit by 1,89,60,000.	The audit observation is noted and necessary action will be taken during the FY 2025-26.
C.	**RECIEPTS & PAYMENT ACCOUNTS – Nil**	
D.	**ACCOUNTING POLICIES**	
1.	**Significant Accounting Policies (Schedule 17)** Consequent to enactment (February 2021) and adoption of Major Port Authority Act (Act), 2021 (November 2021), Major Port Authorities are to ensure compliance to Section 44(1) of the Act and Rule 8 (3) of Major Port Authorities (Accounts and Audit) Rule 2021. Accordingly Annual Statements of accounts are to be prepared in prescribed forms and shall give a true and fair view of the state of affairs of the Port in compliance with Accounting Standards of the Institute of Chartered Accounts of India issued from time to time. However, the Annual Statement of accounts (2024-25) of the Port did not include any assertion on presenting the accounts in the prescribed format and compliance to Accounting Standards. The Annual Statement of accounts did not contain the Cash Flow Statement in compliance with Accounting Standard -3.	a) Annual Accounts is prepared as per Common framework of Financial Report (Billimoria report) which is drafted according to Accounting Standards issued by ICAI. As noted by audit same has not been mentioned in accounting policies and will be corrected during printing of Annual Accounts. b) Present Common framework of Financial Report doesn't stipulate cashflow statement in Annual Accounts. Therefore, the same has not been provided and hence the Audit may kindly drop the para.
E.	**GENERAL – Nil**	
F.	**MANAGEMENT LETTER** Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the New Mangalore Port Authority through a Management letter being issued separately for remedial/corrective action.	

एओ आर सं.	लेखापरीक्षा	कृत कार्रवाई टिप्पणी
	ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता पर यथासमय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण का अभाव इस तथ्य से स्पष्ट था कि अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 10 वर्षों के बजाय 100 वर्षों के रूप में लिया गया था।	क) एनएमपीए में दिनांक 08.12.2022 से स्थापित स्प्लिट एयर कंडीशनर की परिसंपत्ति संख्या 22184 एसआईटीसी के संदर्भ में, सिस्टम त्रुटि के कारण इसके जीवन मानदंड को गलती से 100 वर्ष मान लिया गया है। भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए ईआरपी के एफए मॉड्यूल में आवश्यक नियंत्रण लगाया जाएगा।
	iii) अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तीन वर्षों में एक बार किया जाता है। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2024–25 के लिए निर्धारित था, लेकिन 31.03.2025 तक यह पूरा नहीं हो पाया।	पत्तन की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्तमान में प्रगति पर है। इसके पूरा होने पर लेखापरीक्षा को इसका विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
	iv) इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया। हालाँकि, संबंधित विभागों द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया और यदि कोई अंतर था, तो उसे लेखापरीक्षा में अद्यतन नहीं किया गया। मांगे गए बिन कार्ड विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए। धीमी गति से चलने वाली, गैर–चलने वाली और अप्रचलित वस्तुओं का मूल्य रिपोर्ट में निर्धारित नहीं किया गया था।	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागों को भेज दी गई है। इस संबंध में स्टोर और चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसे लेखापरीक्षा के साथ साझा किया जाएगा।
	v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता। पत्तन निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है।	वास्तविक
	vi) इकाई के प्रकार्य से संबंधित अन्य मामले – शून्य	वास्तविक
	सहायता अनुदान वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।	वास्तविक

AOR No.	Audit observation	Action taken notes
G.	**ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS**	
	i) Adequacy of Internal Control System. The Port does not have an approved Internal Audit Manual. Internal audit of the Port was entrusted to Chartered Accountants, which covers major activities of the Port.	Since the internal audit is entrusted to professional Chartered firm and scope of audit is specified in the work order separate internal audit manual has not been made. However, IPA (Indian Ports Association) will be requested to draft common internal audit manual applicable to all major ports.
	ii) Adequacy of Internal Audit System will be forwarded in due course. Absence of effective internal control was evident from the facts that Depreciation on Fixed Assets was taken as 100 years instead of 10 years.	a) With ref. to the Asset No.22184 SITC of split air conditioner at NMPA installed w.e.f.08.12.2022, its life norms have been erroneously taken as 100 years due to system error. necessary control will be put up in FA module of ERP to avoid such errors in future.
	iii) System of Physical Verification of Fixed Assets Physical verification of Fixed Assets is carried out once in 3 years. Physical verification of Assets was due for 2024-25 and the same was not completed as on 31.03.2025.	The Physical Verification of Fixed Assets of the Port is currently in-progress. The details of the same will be provided to Audit once the same is completed.
	iv) System of Physical verification of inventory Physical verification of inventories was carried out. However, the same was not reconciled by the concerned departments and differences, if any, was not updated in the accounts. Bin cards details called for were not produced. The value of slow moving, non-moving and obsolete items were not quantified in the report.	Physical verification report forwarded to departments for necessary action. Necessary action will be initiated by stores and medical department in this regard and the same will be shared to audit.
	v) Regularity in payment of statutory dues The Port is regular in depositing undisputed statutory dues.	Factual.
	vi) Other matters relating to functioning of the entity-Nil	Factual.
H.	**Grants in aid** No grants were received during the year.	Factual.

वि. वर्ष 2024–25 के लिए नव मंगलूरु पत्तन प्राधिकरण पर वार्षिक लेखा और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा

Review of Annual Accounts and Audit Report On New Mangalore Port Authority for FY 2024-25

परिचय / INTRODUCTION:

नव मंगलूरु पत्तन प्राधिकरण को मई 1974 में 9वें प्रमुख बंदर के रूप में यातायात के लिए खुला घोषित किया गया और 31–03–1980 तक सरकार के एक विभागीय उपक्रम के रूप में कार्य किया गया । बंदरगाह प्रशासन को बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत गठित सदस्यों के बोर्ड को सौंप दिया गया ।

The NEW MANGALORE PORT AUTHORITY was declared open for Traffic as 9th Major port in May 1974 and functioned as a departmental undertaking of Govt. up to 31-03-1980. The Administration of the Port was handed over to the Board of Members, constituted under Port Authorities Act 2021.

वित्तीय स्थिति / FINANCIAL POSITION:

वर्ष 2024–25 के दौरान, बंदरगाह प्राधिकरण ने वर्ष 2023–24 में 862.66 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 921.36 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की । वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान परिचालन व्यय 310.36 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह राशि 292.76 करोड़ रुपये थी । वर्ष 2024–25 के दौरान, बंदरगाह प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के 569.90 करोड़ रुपये की तुलना में 611.01 करोड़ रुपये का परिचालन अधिशेष सृजित किया है ।

During the year 2024-25, the Port Authority generated an Operating Income of ₹ 921.36 Crores (Page No.249) as against ₹.862.66 Crores (Page No.249) during 2023-24. The Operating Expenditure was ₹.310.36 Crores (Page No.249) during 2024-25 as against ₹.292.76 Crores (Page No.249) during 2023-24. During the year 2024-25, the Port Authority has generated Operating Surplus of ₹.611.01 Crores (Page No.249) as against ₹.569.90 Crores (Page No.249) during the previous year.

परिचालन अनुपात / OPERATING RATIO:

नीचे दी गई तालिका में पिछले दो वर्षों के दौरान परिचालन आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है ।

The table below indicates the percentage of Operating Expenditure to Operating Income during the last two years.

(रु. करोड़ में)

विवरण / Particulars	2023-24	2024-25	पृष्ठ सं. Page No
Operating Income	862.66	921.36	(249)
Operating Expenditure	292.76	310.36	(249)
Percentage of Operating Expenditure to Operating Income	33.94	33.68	—

कार्य परिणाम / WORKING RESULTS:

पिछले दो वर्षों के दौरान बंदरगाह के कार्य परिणाम इस प्रकार हैं:

The working results of the Port during the last two years are as under:

(₹ in crores)

वर्ष Year	कराधान के प्रावधान से पहले निवल अधिशेष Net surplus before provision for taxation	परिचालन आय Operating Income	निवल परिसंपत्तियां Net Fixed Assets	निवल परिसंपत्तियां Percentage of Surplus to		पृष्ठ संख्या Page No
				परिचालन आय पर Operating Income	निवल परिसंपत्तियों पर Net Fixed Assets	
2023-24	570.26	862.66	811.78	66.10	70.25	(249)
2024-25	646.46	921.36	795.16	70.16	81.30	(249)

परिसंपत्तियां और देनदारियां / ASSETS & LIABILITIES :

नीचे दी गई तालिका में पिछले दो वर्षों के लिए ब्रॉड हेडिंग के तहत नव मंगलूरु पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को दर्शाया गया है ।

The table below shows the financial position of the NEW MANGALORE PORT AUTHORITY under broad heading for the last two years.

(रु. करोड़ में)

विवरण / Particulars	2023-24	2024-25	पृष्ठ सं. Page No
LIABILITIES			
Capital Reserves	1551.83	1604.17	(243)
Other Reserves	936.52	1282.22	(243)
Statutory Reserves	1954.60	2061.72	(243)
Current Liabilities & Provisions	881.19	954.40	(247)
Deferred Tax Liability	161.15	163.89	(243)
Total Liabilities	**5485.29**	**6066.40**	
ASSETS			
Net Fixed Assets	811.78	795.16	(243)
Work - in – progress	15.48	51.09	(243)
Investments	3903.29	4397.41	(243)
Current Assets	754.74	822.74	(245)
Total Assets	**5485.29**	**6066.40**	

आरक्षित निधि / RESERVE FUND:

बंदरगाह प्राधिकरण को वार्षिक रूप से पूंजी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रिजर्व और विकास के लिए आरक्षित भंडार, ऋण और आकस्मिकताओं का भुगतान, अधिशेष की उपलब्धता के अधीन रहते हुए दो आरक्षितियों को निर्धारित करना होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, उपर्युक्त दो भंडारों की दिशा में 30 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया ।

The Port Authority is required to set apart annually to each of two reserves – Reserve for Replacement, Rehabilitation and Modernization of Capital Assets and Reserves for Development, Repayment of Loans & Contingencies subject to availability of surplus. During the year 2024-25, ₹ 30.00 Crores (Page No.249) and ₹ 30.00 Crores (Page No.249) were contributed towards the above two reserves.

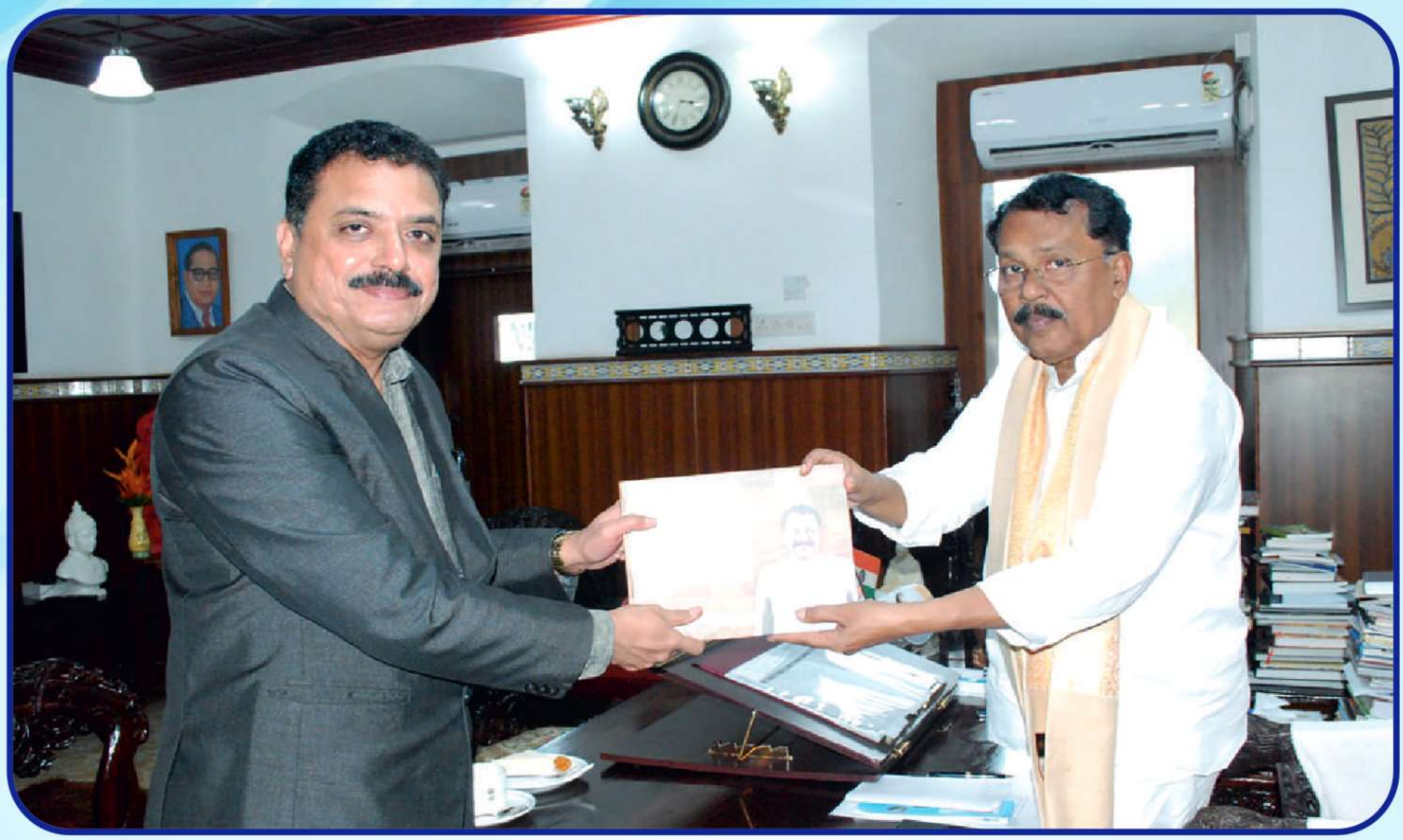

Dr. A.V. Ramana, Chairman, NMPA felicitating Shri P.S. Sreedharan Pillai, Hon'ble Governor of Goa

Dr. A.V. Ramana, Chairman, NMPA felicitating Shri Sanjay Bhatia, IAS(Retd), Upa-Lokayukta of Maharashtra on the occasion of Vigilance Awareness Week at NMPA

100%
SOLAR POWERED PORT

50 Sailing towards
Viksit Mangalore,
Viksit Bharat

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY

Panambur, Mangalore - 575010,
D.K. District, Karnataka

NewMng Port NewMng Port

newmngport https://newmangaloreport.gov.in/

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

NEW MANGALORE PORT AUTHORITY

Administration and
nnual Accounts with
Audit Report